खेल परिसर के नियम, विनियम और उप-विधियाँ नियम और विनियम

	T 1
1.	
1.1	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में खेलों के विकास एवं उन्नित के लिए यमुना खेल परिसर वाई एस) (सी की स्थापना की गई है। निकाय का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, यमुना खेल परिसर होगा। इसमें टेनिस, बास्केटबॉल, बैडिमंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्नूकर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एरोबिक्स, योगा, ताइक्वांडो, फिटनेस सेंटर (मल्टी जिम), तैराकी, जॉगिंग, स्केटिंग, स्क्वॉश, एथलेटिक्स, तीरंदाजी (आर्चरी), शतरंज, फेन्सिंग, डांस, जिम्नास्टिक, वॉलीबाल, चिल्ड्रन पार्क आदि की सुविधाएं हैं। जिस भूमि पर यमुना खेल परिसर (वाई एस सी) बनाया गया है वह दि.वि.प्रा. की संपत्ति है। खेल परिसर, तथा उसमें निर्मित सभी सुविधाएं, दि. वि. प्रा. के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण में है। दि. वि. प्रा. के अलावा किसी भी व्यक्ति, संस्थान, एजेंसी, आदि को यमुना खेल परिसर के प्रबंधन और मामलों में भागीदारी के अधिकार के लिए कोई वैधानिक प्रावधान, नियम, विनियम, उपनियम आदि नहीं हैं और वाई एस सी की सदस्यता वाले किसी भी व्यक्ति के पास वाई एस सी की संपत्ति, प्रबंधन और मामलों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।खेल परिसर का नियंत्रण और प्रबंधन हमेशा दि. वि. प्रा.के पास रहेगा जैसा कि यहां बताया गया है।
2.	
	दि. वि. प्रा. यमुना खेल परिसर (इसे बाद जिसे खेल परिसर कहा जाता है) के उद्देश्य हैं:
	क) मुख्य योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजक और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना।
	ख) सामान्य रूप से दिल्ली के नागरिकों और विशेष रूप से खेल परिसर के सदस्यों के बीच खेल गतिविधियों और परस्पर सहायता और सद्भाव की भावना को प्रेरित करना।
	ग) विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे, टेनिस, स्क्रैश, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडिमंटन,
	ताइक्वांडो, तीरंदाजी, एरोबिक्स, तैराकी आदि।
3.	ताइकाडों, तीरदाजी, एरोबिक्स, तेराको आदि। उद्देश्य:
3.	<u> </u>
3.	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के
3.	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य
3.	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के
3.	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना।
3.	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए
	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी।
	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी। सदस्यता: सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल
	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी। सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल खेल परिसर में खेल के अधिकार प्रदान करती है।
	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी। सदस्यता: सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल खेल परिसर में खेल के अधिकार प्रदान करती है। (क) व्यक्तिगत सदस्यता: भारतीय (सरकारी/गैर सरकारी)/विदेशी नागरिक।
	उद्देश्यः क) दिल्ली में खेल सुविधाओं के विकास और खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय उपराज्यपाल/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करना। ख) खेल परिसर को चलाने के लिए सभी प्रकार के उपकरण, सामग्री, फर्नीचर, उपस्कर और अन्य आवश्यक सामान की खरीद, किराये पर लेना, उपलब्ध करवाना और रख-रखाव करना। ग) परिसर चलाने हेतु कोच, मार्कर, इंस्ट्रक्टर, ग्राउंड्समैन और अन्य कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के काम के लिए नियुक्त करना। घ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य सभी विधिसम्मत बातें करना,जो आकस्मिक या अनुकूल हैं। इ) दि. वि. प्रा. के खेल प्रबंधन बोर्ड के पास खेल परिसर के उचित संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी नियमों/उप विधियों को बनाने,बदलने और निरस्त करने की शक्ति होगी। सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां नीचे दी गई हैं और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में परिभाषित की गई हैं। सभी श्रेणियों के संबंध में सदस्यता को मंजूरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दी जाएगी। हालाँकि, सदस्यता केवल खेल परिसर में खेल के अधिकार प्रदान करती है। (क) व्यक्तिगत सदस्यता: भारतीय (सरकारी/गैर सरकारी)/विदेशी नागरिक। (ख) आश्रित सदस्यता

(च) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यता (छ) अस्थायी सदस्यता (ज) विशेष अस्थायी सदस्यता (झ) मानद सदस्यता (ञ) विशेष मानद सदस्यता (ट) अतिथि सदस्यता (ठ) दैनिक आकस्मिक सदस्यता (भुगतान करें और खेलें) (ड) विद्यालयी छात्रों के लिए छात्र सदस्यता (कक्षा 12 तक) दैनिक / मासिक 5. व्यक्तिगत सदस्यता 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति नियमित सदस्य बनने के लिए पात्र होगा। एक बार दी गई सदस्यता किसी अन्य की अंतरित नहीं किया जाएगा। कोई सदस्य आश्रित के रूप में अपने पति/पत्नी और बच्चों (5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच) को नामांकित कर सकते हैं। आवेदन करने के समय सदस्य को आश्रितों को नामांकित करना आवश्यक है। आश्रित सदस्यों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित मासिक अंशदान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से प्रभाव होगा। इस प्रकार कुल मासिक अंशदान की गणना सदस्य द्वारा दिए गए परिवार के विवरण के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, प्रबंधन बोर्ड आश्रितों की सदस्यता को मना करने या स्वीकार करने का अधिकार सरक्षित रखता है। आश्रित की सदस्यता 6. 6.1 पित या पत्नी और कानूनी बच्चे (5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच) आश्रित सदस्य बनने के पात्र हैं। हालांकि, अश्रितों को सदस्य द्वारा नामित करना होगा और किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन के समय उनके विवरण का खलासा आवेदन- पत्र में किया जाना चाहिए। जो भी सदस्य खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) की सदस्यता प्राप्त करने के बाद विवाह करता है, वह अपने 6.2 पति/पत्नी को विवाह की तारीख से आश्रित के रूप में शामिल करवा सकता है। इसी तरह 5 वर्ष की आयू प्राप्त करने पर बच्चों को आश्रित के रूप में अनुमति दी जाती है। आश्रितों के नाम, और उनकी सदस्यता के भगतान का दायित्व सदस्य का होगा। ऐसे मामलों में मासिक सदस्यता उनके विवाहित होने के 5 माह या बच्चों की आयु 5 वर्ष होने पर प्रभावी होगी। जब तक आश्रितों के लिए सदस्यता का भुगतान व्यक्तिगत सदस्यता के अनुमोदन की तारीख से नहीं किया 6.3 जाता है, आश्रितों को सदस्यता कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। आश्रित बच्चे 21 वर्ष की आय प्राप्त करने पर आश्रित सदस्य नहीं रहेंगे। उन्हें अपना सदस्यता कार्ड सरेंडर 6.4 करना होगा। बाद में किसी समय सदस्यों के रूप में अपने/अपने आश्रितों को दाखिला देने के इच्छक व्यक्ति को 6.5 पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू मासिक सदस्यता का भूगतान करना होगा, अर्थात, उसकी सदस्यता की स्वीकृति की तारीख से। अश्रित सदस्यता कार्ड एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और नवीनतम फोटो के साथ 6.6 प्रत्येक ५ वर्ष में नए कार्ड बदले जाएंगे। 7. एसोसिएट सदस्यताः 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, एक सदस्य के आश्रित बच्चे, जिन्होंने एक वर्ष की न्यूनतम अविध के लिए परिसर का उपयोग किया है, यदि वह परिसर के उपयोग को जारी रखना चाहते हैं, तो एसोसिएट सदस्यता, के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएट सदस्यता को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है:-एसोसिएट सदस्य बनने का विकल्प 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर प्रयोग किया (1) जाना चाहिए। प्रचलित प्रवेश शुल्क के 50% के बराबर गैर-प्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भूगतान करना होगा ट सदस्यों के लिए मासिक सदस्यता अंशदान व्यक्तिगत सदस्यों के समान होगा। 7.1 ट सदस्यों को आश्रित सदस्यों को शामिल करने और अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 7.2

8.	वरिष्ठ नागरिक सदस्यता
	विरष्ठ नागरिक सदस्यता केवल उन लोगों के लिए हैं, जिनकी 60 वर्ष की आयु हो गई हो, इसके लिए आयु का प्रमाण देना होगा। पित या पत्नी के अलावा, विरष्ठ नागरिक सदस्य के 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे सामान्य मासिक सदस्यता के भुगतान पर आश्रित सदस्य बन सकते हैं। हालाँकि, आश्रित सदस्य के 21 वर्ष की आयु के बाद उसे एसोसिएट सदस्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
9.	। सदस्यता
	सार्वजिनक क्षेत्र और निजी वाणिज्यिक फर्म कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए पात्र हैं, जो अनुमोदन मिलने निर्धारित प्रवेश शुल्क के अधीन हैं। एक नामित सदस्य को समय-समय पर निर्धारित मासिक सदस्यता शुल्क पर सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित दी जाएंगी। प्रायोजक(स्पोंसोरिंग) फर्म पूर्व सूचना देकर से नामित व्यक्ति का नाम बदलवा सकती है और नामांकित के परिवर्तन से पहले अनुमोदन लेना होगा। पिछले नामांकित व्यक्ति के कार्ड सरेंडर्ड कर दिए जाएंगे।
	विनिर्माण उद्योगों की सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये के तथा परामर्शी सेवाओं
9.1	के लिए 5 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकारी संगठन और सूचिबद्ध कम्पनियाँ भी कॉर्पोरेट सदस्यता के लिये आवेदन कर सकती हैं।
10.	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) सदस्यताः
	अनिवासी भारतीय निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के पात्र हैं। रुपयों में प्रवेश शुल्क निर्धारित प्रवेश शुल्क के बराबर है। राशि का भुगतान एनआरआई के गैर निवासी खाते से रूपए में ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही बैंक से एक प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाणित करना चाहिए कि राशि उस व्यक्ति के एनआरआई खाते से डेबिट की गई है।
11.	अस्थायी सदस्यता
11.1	अस्थायी सदस्यता यथा निर्धारित शुल्क के अप्रतिदेय भुगतान पर 3 महीने की अवधि के लिए है। यह परिवार की सदस्यता है। परिवार में पित/पत्नी और बच्चे शामिल हैं। आश्रित(पित/पत्नी और बच्चे),आश्रित सदस्यता के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड /एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमित नहीं है।
11.2	अस्थाई सदस्यता पात्र आवेदकों को दी जाती है, यदि आवेदकों की संख्या अस्थायी सदस्यता की निर्धारित सीमा के भीतर है। यदि आवेदकों की संख्या सीमा से अधिक है,तो अस्थायी सदस्यता लॉट के कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से दी जाएगी।
11.3	आवेदक को 5 से 21 वर्ष की आयु के आश्रित कानूनी बच्चों के लिए स्व-प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्रों की स्कैन की हुई प्रति के साथ-साथ स्वयं और आश्रितों के फोटो की स्कैन कॉपी के साथ आवेदन- पत्र ऑनलाइन जमा कराना होगा।
11.4	खेल परिसरों के स्थायी सदस्यों के आश्रित बच्चे, खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग अस्थायी सदस्य के रूप में कर सकते हैं, यदि वे आश्रित सदस्यता का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अस्थायी सदस्यता के अन्य आवेदकों से प्राथमिकता दी जा सकती है। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अस्थायी सदस्यता देने की वर्तमान प्रणाली में ढील दी जा सकती है। अव्यस्क के मामले में अस्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
12.	विशेष अस्थाई सदस्यता
	आवेदक, पित /पत्नी और बच्चों (21 वर्ष से काम आयु वर्ग के बच्चे) के लिए एक वर्ष के लिए एक बारगी अप्रतिदेय शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, पिरसर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले केवल केंद्र सरकार के अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के पात्र हैं, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है। बैंक, सार्वजिनक क्षेत्र और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले अधिकारी इस प्रकार की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।
13.	मानद सदस्यता
	भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सदस्य और दि. वि. प्रा. के अभियंता सदस्य मानद सदस्य होंगे।

पह खेल प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं या दिल्ली में रहने वाले असाधारण राष्ट्रीय/अर्तर्षष्ट्रीय खिलाडियों को प्रदान किया जाता है, विशेष मानद सदस्य को प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य मासिक अंशदान लिया जाएगा। 15. अतिथि सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/इजूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रतः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। जावित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। क सदस्यता (मुगतान करें और खेंलें) आकस्पिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमति दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। तिधाओं/विधुरें की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य करूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुकत (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमीदन से सदस्य कर्का हो स्वर्ध कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। सदस्यता कार्ड सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। साम-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की कावश्य सोतरारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए सावस्य होगा। विश्ते करने कि लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने करना सामलें में हिण के सामलें में हिण करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड खो जाने पर, डुल्किट कार्ड खोने के मामलें में, हिल्किट कार्ड के लिए सावस्य हो निर्य होगी, जो भी प		
असाधरण राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, विशेष मानद सदस्य को प्रवेश शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन निर्धारित दरों के अनुसार सामान्य मासिक अंशदान लिया जाएगा। 15. अतिथ सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। 15.1 सदस्य अपने अतिथि के आवरण के लिए जिम्मेदार होगा। 15.2 किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। 315.3 आश्रितएसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 4 कसदस्यता (पुगतान करें और खेतें) 316. अकस्यक सदस्यता (उत्ती दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेशन प्रस्ता (उत्ती दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेशन प्रस्ता को लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूटली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूटली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 16.1 विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: 18. कुर्योत करने सदस्यता सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अवदिन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य कनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर कि सदस्यता कार्यागा। 18. सदस्यता कार्ड 18.1 प्रतेक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और अश्रितों के लिए एथक सदस्यता कार्ड के बाद उसे एकत्र करे। 18.2 चह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.1 चह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत को वाता है, तो सदस्य को पुलिक रक्त के तिथ प्रतान करनी आवेदन करना आवेदग करना चाहिए। 18. कार्य के लिए आश्रित कार क	14.	विशेष मानद सदस्यता
15. अतिथ सदस्यता: श्वायी सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और साय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुब्ह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। 15.3 आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। क सदस्यता (सुगतान करें और खेंतें) आक्रसिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेस) प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धा होने पर ही अनुमति दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य का सदस्यता वाले व्यक्ति के निध्न समयता मृतक व्यक्तिगत सदस्य का निपटान किया जाएगा। सदस्यता कार्ड 18.1 प्रतेष सदस्य और आश्रित सदस्यता कार्च प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड के आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की कार्ड उसे एकत्र के लिए आवेदन कर और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र को को वार्ष योग करने का बहुना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को मुविस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुव्लिकट कार्ड के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। आश्रित द्वारा अनुरोध करना आवश्यक होगा। आश्रित द्वारा अनुरोध करना आवश्यक होगा। आश्रित करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए आनिलाइन आवेदन करना चिहिए। 18.5 कार्ड खो जाने पर डुव्लिकट कार्ड बनाने के सिंध में शुल्क का जुर्यान लेटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसे प्रता हुव प्रवेश प्रवेश मिंद किया उत्तर्व मुलक का संवध में स्वस्य के		यह खेल प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं या दिल्ली में रहने वाले
15. अतिथि सदस्यताः स्थायी सदस्यताः स्थायी सदस्यताः स्थायी सदस्यताः वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। 15.1 किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (ग्रीष्मकाल में)। अग्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथ्यों को लाने की अनुमति नहीं है। 16. क सदस्यता (मुगतान करें और खेंलें) आक्रस्यक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉय्येक्श) प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमति दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता । परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त के विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के निथम से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्यता कार्ड 18.1 अपरेक सदस्य और आश्रित सदस्यता वाले व्यक्ति के निथम से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18.2 यह सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए एथक सदस्यता कार्ड को आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। वा एकत्र ना करना वा एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बित्त खुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुल्किक्ट कार्ड के लिए आवेदन करना आविश्य के 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए निर्ध करना आवर्यक है। 2 वहा के किए आश्रित करई की वैध्वा 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए निर्य करना खिहि। 2 महा हो प्रवेश प्रतेश मारिक सदस्य		
स्थायी सदस्यता वाले सभी लोग एक समय में अधिकतम चार अतिथि ला सकते हैं, जो अपेक्षित शुल्क के भुगतान के अधीन हैं। सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/इजूरी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। 315.3 आश्रितएसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 14 कस स्वस्यता (सुगतान करें और खेलें) 316. अकिस्यक (प्रभातान करें और खेलें) 316. अकिस्यक प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी को सदस्यता को खेल- सुविधाओं को उपलब्धता होने पर ही अनुमति दी जाएगी। 12 स्कूरी बच्चों के लिए सदस्यता 13 परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता 14 निर्धारत शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 15 विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: 16 मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य बनाया जा सकता है, बशतें कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य ता लेवा के लिए मास सहस्य बनाया जा सकता है, बशतें कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य ता लेवा विविद्य के लिए निर्ध से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्यता कार्ड 18.1 सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करने और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ दुष्लिकट कार्ड के लिए आवेदन करना आवश्यक है। 18.4 कार्ड खो जाते पर, दुष्लिकट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्मान लगेगा। वच्चों के लिए आश्रित कार्ड खोने के मामले में, दुष्लिकट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। वच्चों के लिए आश्रित कार्ड खोने के मामले में, दुष्लिकट कार्ड के लिए निर्धारित करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए निर्धार लेवा करने की तारीख से 5 वर्ष पू	4.5	<u> </u>
15.1 सदस्य अपने अतिथि के आवरण के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधना-इन्नूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अतिथि को माना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीम्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। 3.15.3 आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 16.	15.	
किसी भी सुविधा के लिए प्रबंधन/ड्यूटी प्रभारी को व्यस्ततम समय (पीक आवर्स) के दौरान किसी भी अित्रिथ को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सांय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमित नहीं है। 16. 16. 16. 16. 17. 16. 17. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 10.		
अतिथि को मना करने का अधिकार है, अर्थात प्रातः 6.00 से 8.00 बजे और सीय 6.00 से 8.00 बजे (प्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। 15.3 आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 16.	15.1	सदस्य अपने अतिथि के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।
(ग्रीष्मकाल में) और 6.30 से 8 बजे सुबह और 6.30 से 8.30 बजे शाम को (शीतकाल में)। आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। 16.	15.2	
अशित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है। क सदस्यता (भुगतान करें और खेलें) आकस्मिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमति दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य वा निथन से पहले आश्रेत हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। सदस्यता कार्ड पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। सदस्यता कार्ड प्रकेष सदस्य और आश्रित सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। वच्चों के लिए आश्रित कार्ड को वेशता ड वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड खो करने की तारीख से 5 वर्ष प्रा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शोड्यूत नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्यान पर प्रदर्शित किया गया है। और डीडीए की वेबसाइट फ्रफ्य वोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्यान		
क सदस्यता (भुगतान करें और खेलें) आकस्मिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमित दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमित दी जाएगी। सक्ती को लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्य वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। सदस्यता कार्ड प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बना के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा।		
आकस्मिक सदस्यता (उसी दिन के लिए मान्य) को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर परिसर (कॉम्प्लेक्स) प्रभारी द्वारा अनुमित दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमित दी जाएगी। *कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता:	15.3	आश्रित/एसोसिएट सदस्यों को अतिथियों को लाने की अनुमति नहीं है।
(कॉम्प्लेक्स), प्रभारी द्वारा अनुमित दी जा सकती है। इस श्रेणी की सदस्यता को खेल- सुविधाओं की उपलब्धता होने पर ही अनुमित दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमीदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्यता कार्ड 18.1 प्रतेक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेडजूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	16.	नक सदस्यता (भुगतान करें और खेलें)
उपलब्धता होने पर ही अनुमितें दी जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/नेदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. 18.1 18.1 18.2 पह सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। पदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ दुप्तिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, दुप्तिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर, दुप्तिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
16.1 स्कूली बच्चों के लिए सदस्यता परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमौदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क प्रवेश पुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
परिसर में सुविधाओं के उपयोग के लिए स्कूली बच्चों (कक्षा 12 तक) के लिए दैनिक/मासिक सदस्यता निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी। 17. विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्यता कार्ड प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क का सोड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्यना देश पर पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।	16.1	
विधवाओं/विधुरों की सदस्यता: मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल),निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतिरत होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा।		
मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतिरत होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. *********************************		निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगी।
मृतक व्यक्तिगत सदस्य की विधवा/विधुर के मामले में, जो व्यक्तिगत सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्त कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतिरत होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. *********************************		
आवेदन करता है, उसे आयुक्त (खेल)/निदेशक (खेल) के अनुमोदन से सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतिरत होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. **Rदस्यता कार्ड 18.1 Usuan सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निधीरित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 Usuan सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	17.	
कि विधवा/विधुर व्यक्तिगत सदस्यता वाले व्यक्ति के निधन से पहले आश्रित हो। हालांकि, सदस्यता अंतरित होने से पहले पिछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. #दस्यता कार्ड प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। #दस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
होने से पहले पिँछले बकाया का निपटान किया जाएगा। 18. सदस्यता कार्ड 18.1 प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
18.1 सदस्यता कार्ड 18.1 प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
 प्रत्येक सदस्य और आश्रित सदस्य को सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करने पर ही सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख़ के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है। 	18	
अनुमित होगी। समय-समय पर निर्धारित भुगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पृथक सदस्यता कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		·
कार्ड की आवश्यकता होगी। 18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर पोस्ट किया गया है।	10.1	अनुमति होगी। समय-समय पर निर्शारित भगतान करने पर सदस्यों और आश्रितों के लिए पथक सदस्यता
18.2 यह सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह सदस्यता कार्ड को तैयार करने के लिए आवेदन करे और नियत तारीख के बाद उसे एकत्र करे। 18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
के बाद उसे एकत्र करे। कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	18 2	
18.3 कार्ड के लिए आवेदन ना करना या एकत्र ना करना, मासिक सदस्यता का भुगतान नहीं करने/सदस्यता कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है।	.0.2	
कार्ड के बिना सुविधाओं का उपयोग करने का बहाना नहीं होगा। 18.4 यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	18.3	·
होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
होगा। आश्रित द्वारा कार्ड खोने के मामले में, डुप्लिकेट कार्ड के लिए सदस्य द्वारा अनुरोध करना आवश्यक है। 18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	18.4	यदि कार्ड खो जाता है, तो सदस्य को पुलिस रिपोर्ट की प्रति के साथ डुप्लिकेट कार्ड के लिए आवेदन करना
18.5 कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा। 18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		
18.6 बच्चों के लिए आश्रित कार्ड की वैधता 5 वर्ष या 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		है।
कार्ड जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	18.5	कार्ड खो जाने पर, डुप्लिकेट कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का जुर्माना लगेगा।
ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। 19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	18.6	
19. सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क 19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		कार्ड जारी करने की तारीख़ से 5 वर्ष पूरा होने पर, सदस्य को आश्रित के लिए नए कार्ड के लिए
19.1 प्रवेश शुल्क और मासिक सदस्यता शुल्क के संबंध में शुल्क का शेड्यूल नोटिस बोर्ड और खेल परिसर के रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।		ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया गया है और डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.inपर पोस्ट किया गया है।	19.	सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क
	19.1	
शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।		_
		शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

19.2	सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क अप्रतिदेय है।
19.3	केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और
19.4	दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी और वे व्यक्ति जिनके वेतन और भत्ते समेकित निधि से भारत/राज्य से
	आहरित किये जाते हैं, उन्हें सरकारी श्रेणी में माना जाएगा।
19.5	सभी भुकतानों पर वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त रूप से लागू होगा।
20.	सदस्यता का भुगतान
20.1	(1) प्रत्येक तिमाही बिल जारी किए जाएंगे। सदस्यता की दर के अनुसार बकाया राशि खेल परिसर को चेक के माध्यम से भेजी जा सकती है (दोपहर 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच, भोजन अवकाश दोपहर 1.00 बजे से 1.30 बजे को छोड़ कर, (सभी कार्य दिवसों में)। सदस्यता का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है।
	(2) सदस्यता का भुगतान पहले से ही तिमाही, छह माह या पूरे वर्ष के लिए किया जा सकता है।
	(3) एक वर्ष से अधिक समय तक बिलों का भुगतान न करने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी।देरी से किए गये भुगतान के लिए 500 रुपये का अधिभार लगाया जाएगा।
	(4) गलत पते या डाक देरी के लिए व्यक्तियों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तियों से अनुरोध है कि सदस्यता की समाप्ति से बचने के लिए सदस्यता का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए। स्थायी सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से उनके बकाया के बारे में सूचित किया जाएगा।
	(5) डिफॉल्टरों को आवेदन - पत्र में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाएगा, और उस निर्धारित समय में भुगतान न करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना के जरिए भी नोटिस भेजे जाएंगे।
	(6) सदस्यता प्राप्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे मेल के पते, ईमेल, फोन नंबर आदि में किसी भी बदलाव के मामले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के साथ अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। ये विवरण ऑनलाइन भी अपडेट किए जा सकते हैं।
	(7) सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर की किसी भी सुविधा के उपयोग हेतु भुगतान राशि की रसीद प्राप्त करें।
20.2	सदस्य अन्य घंटों में भी मासिक अंशदान या चैक प्रशासनिक ब्लाक के बाहर रखे चैक बाक्स में डाल सकते है। चैक के पीछे निम्नलिखित सूचना लिख दें :-
	1) सदस्य का नाम
	2) सदस्यता संख्या
	3) आश्रितों की संख्या
	 भुगतान की अविध
	5) ईमेल पता
	6) मोबाइल नम्बर
	चैक "सीएयू (खेल), डीडीए" के पक्ष में केवल आदाता के खाते में रेखांकित होने चाहिए। बाहर के स्थानों के चैक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
	ऐसे चैकों की रसीदें स्वागत कक्ष में उपलब्ध होंगी।
20.3	चैक डाक/कोरियर द्वारा भी भेज सकते हैं। ऐसे चैको की रसीद भी स्वागत कक्ष में उपलब्ध होगी।
20.4	
21.	अंशदान से छूट
21.1	आश्रितों सहित अवैतनिक सदस्यों को कोई प्रवेश शुल्क अथवा मासिक अंशदान अथवा अन्य कोई उपयोग प्रभार अदा नहीं करना होगा।
21.2	इसी प्रकार दि.वि.प्रा. के खिलाड़ी और कर्मचारी, जो विभिन्न पदों पर खेल परिसरों में काम कर रहे हैं जब तक वे खेल परिसर में कार्य करते रहेंगे तब तक उनकों स्वयं के लिए और उनके आश्रितों के लिए अंशदान

का भुगतान करने से छूट है।

21.3 खेल परिसर के विकास कार्यों से जुड़े दि.वि.प्रा. के अभियंताओं, वास्तुकारों आदि से तब तक मासिक अंशदान नहीं लिया जाएगा जब तक कि वे खेल परिसरों के कार्य से जुड़े रहेंगे। तथापि उन्हें उनके अश्रितों के लिए सामान्य दर पर मासिक अंशदान का भुगतान करना होगा। सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर आयुक्त (खेल) द्वारा ऐसे मामलों की जांच की जाएगी और उन्हें पृथक-पृथक अनुमोदित किया जाएगा।

22. सदस्यता समाप्त करना :

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी:

- 1) सदस्य के अनुरोध पर।
- 2) 1 वर्ष अथवा उससे अधिक अविध के लिए खेल परिसर की देय राशि का भुगतान न करने पर। गलत पते की वजह से सदस्य के पत्र प्राप्त न होने और डाक संबंधी देरी के लिए प्रबन्ध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अंशदान का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें ताकि सदस्यता की समाप्ति को रोका जा सके।
- 3) दुराचार अथवा खेल परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य अथवा खेल परिसर के नियमों और विनियमों तथ उप-विधियों का उल्लंघन करने अथवा यिद किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वे सदस्य जिनकी सदस्यता इस कारण से रद्द की गई हो, उन्हें दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रवेश से विवर्जित कर दिया जाएगा। यदि सदस्य के पास दि.वि.प्रा. के किसी अन्य खेल परिसर/गोल्फ कोर्स की सदस्यता है तो वह स्वतः रद्द हो जाएगी। यदि इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया है तो सदस्यता को इस कारण से रद्द किया गया है अथवा खेल परिसर की सुविधाओं के उपयोग से अयोग्य/विवर्जित किया गया है वे भविष्य में किसी भी दि.वि.प्रा. खेल परिसर अथवा गोल्फ कोर्स में, अस्थायी और आकस्मिक (भुगतान करो और खेलो) सदस्यता सहित, किसी भी प्रकार की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4) यदि सदस्य किसी दूसरे ऐसे देश का नागरिक हो तथा उस दूसरे देश और भारत के बीच युद्ध घोषित हो गया हो।
- 5) यदि उसे प्रबंध बोर्ड द्वारा दुराचार अथवा नैतिक अधमता के रूप में माने गये किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
- 6) यदि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निर्णय में यह लिखा गया है कि सदस्यता जारी रहने से खेल परिसर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 7) सदस्यों को दि.वि.प्रा. खेल परिसर में किसी फोरम, एसोसिएशन का गठन करने या कोई मजदूर संघ कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में खेल प्रबन्ध बोर्ड या उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
- 8) जिन सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया गया है उनके नाम खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- 9) खेल परिसर की सुविधाओं का नियमित रूप से उपयोग न करने के लिए।
- 10) सदस्यता रद्द होने पर प्रवेश शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
- 11) अंशदान के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि को सभी बकाये राशियों को समायोजित करने के बाद वापिस किया जाए।

23. देय राशियों का भुगतान नहीं करना

- 1) 1 वर्ष से अधिक के बिलों का भुगतान न करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देरी से भुगतान करने पर 500% रु. अधिभार वसूल किया जाएगा।
- 2) प्रबंधन, गलत पते की वजह से सदस्यों द्वारा पत्र/बिल प्राप्त न होने अथवा डाक संबंधी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अंशदान का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित

करें ताकि सदस्यता समाप्त करने को रोका जा सके।

- उन्हों चूककर्त्ताओं को आवेदन फार्म में उल्लिखित पते पर नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें उन्हें नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर बकायों का भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाएगा, और ऐसा ना होने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
- 4) सदस्यता प्राप्त सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे डाक पते, ई-मेल, फोन नम्बर आदि में परिवर्तन के मामले में खेल परिसर के प्रबंधन में अपने प्रोफाइल को अद्यतन करें।

24. रद्द की गई सदस्यता बहाल करना :

सामान्यतः अपवाद स्परूप मामलों को छोड़ कर शेष मामलों में सदस्यता बहाल करने की अनुमित नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप मामलों में सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदक ने दो वर्षों की अविध के अंदर आवेदन किया हो और आयुक्त (खेल) /िनदेशक (खेल) उस आवेदन से संतुष्ट हो तथा उसे सदस्यता की रद्दकरण अविध सिहत आज तक की बकाया राशि के साथ-साथ वर्तमान सदस्यता प्रवेश शुल्क की 1/3 राशि का भुगतान करना होगा।

बहाली प्रभार, सदस्यता रद्द होने की तिथि को सदस्यता श्रेणी की स्थिति पर आधारित होगा, अर्थात् यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक हो जाने के पश्चात् चूक करता है तो केवल तभी बहाली प्रभार वरिष्ठ नागरिकों के लिए यथा लागू प्रवेश शुल्क/मासिक अंशदान पर आधारित होगा।

सदस्यता बहाली के लिए निम्नलिखित नियम लागू होंगे :-

- 1) जिन परिसरों में सदस्यता खुली हैं, वहाँ चूककर्ता सदस्यों की सदस्यता को निर्धारित बहाली प्रभार के भुगतान और बकाया देय की वसूली के पश्चात् बहाल किया जाएगा।
- 2) जिन खेल परिसरों में सदस्यता बंद है, वहाँ सदस्यता रद्द होने की तिथि से 2 वर्ष की अविध के पश्चात् चूककर्त्ता सदस्यों की सदस्यता को बहाल नहीं किया जाएगा।

यदि सदस्यता निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दी गई हो तो सदस्यता बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा-

1) सदस्य के अनुरोध पर।

2) दुराचार या खेल-परिसर की प्रतिष्ठा और निर्बाध कार्य-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी कार्य या खेल-परिसर के नियमों तथा विनियमों और उप-विधियों का उल्लंघन किया गया हो।

3) यदि किसी सदस्य ने प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दुराचार या नैतिक अधमता के रूप में माने गए किसी अपराध का कार्य किया हो।

जिस अविध के लिए सदस्यता रद्द की गई हो उस अविध की अनुपस्थित सदस्यता अविध (प्रभावित अविध) सदस्यता बहाल करने के लिए स्थान/निवास-स्थान से बाहर रहने का प्रस्तुत किया गया प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

24.2

25. **अस्वीकृत चैक :**

सदस्यों के चैक "चैक काटने वाले को वापिस" "धनराशि उपलब्ध नहीं है" और "सदस्य द्वारा भुगतान रोकने" अथवा अन्य किसी कारण से चैक अस्वीकृत हो जाने पर सदस्य को तत्काल जीएसटी सिहत 200 रु. की जुर्माना राशि के साथ देय राशि का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/एनईएफटी/आरटीजीएस/नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। नियमों में दी गयी निर्धारित अविध के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

26. सदस्यों को नोटिस

जिन मामलों में किसी भी नियम के अन्तर्गत सदस्यों को नोटिस देना आवश्यक हो, उन मामलों में उनके उपलब्ध पिछले पते पर नोटिस देना अथवा डाक से भेजना पर्याप्त होगा बशर्ते कि अन्यथा व्यवस्था न हो।

24.1

	सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस बेजा जाएगा जिसमें डाक/ई-मेल द्वारा नोटिस भेजे
	जाने की सूचना दी जाएगी।
27.	नियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना :
	प्रबन्ध बोर्ड को, नियमों और उप-विधियों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्यता को आस्थगित करने/ समाप्त करने के लिए और परिसर का उपयोग करने से अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।
28.	सदस्यों का आचरण :
	यदि परिसर के सचिव की राय में किसी सदस्य अथवा उनके आश्रित व्यक्ति का परिसर में आचरण परिसर की प्रतिष्ठा और हित के लिए अनुचित है तो परिसर से उनकी सदस्यता स्थगित/समाप्त कर दी जाएगी।
29.	अनुपस्थित - बाह्य सदस्यता :
29.1	ऐसे सदस्य जिन्हें दिल्ली/देश से अस्थायी रुप से लगातार न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए बाहर रहना हों, वे अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सदस्यता उनके जाने की तिथि से आरम्भ होगी और कार्यालय आदेश, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट/वीजा आदि के रुप में दस्तावेजी सबूत के साथ लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त होने की शर्त पर होगी। अनुपस्थित (बाहर जाने) सदस्यता, कार्ड जमा कराने पर अनुमोदित होगी, जिसे सदस्य लौटने पर वापिस ले सकते हैं।
29.2	सदस्य के साथ उनके आश्रित व्यक्तियों को भी अनुपस्थित सदस्य माना जाएगा। तथापि यदि आश्रित व्यक्ति अध्ययन आदि के लिए नगर/देश के बाहर ठहरे हुए हो तो उन्हें सबूत प्रस्तुत करने और कार्ड जमा करने पर नगर/देश से बाहर/अनुपस्थित सदस्य के रुप में पृथक से अनुमति दी जा सकती है।
	किसी भी कारणवंश परिसर का प्रयोग न करने को अनुपस्थिति (बाहर जाने) सदस्यता का दावा करने का कारण नहीं माना जाएगा।
29.3	उप नगरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गाँव, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ को दिल्ली के अन्दर ही माना जाएगा।
29.4 29.5	अनुपस्थित सदस्यता के लिए मासिक अंशदान खेल परिसर के नोटस बोर्ड और स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है और दि.वि.प्रा. वेबसाइट <u>www.dda.org.in</u> पर डाला जाता है साथ ही अनुपस्थित सदस्य को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचना भी दी जाती है।
	अनुपस्थित/बाह्य सदस्यता किसी भी सदस्य को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी चाहे वह इस अवधि को सतत अवधि में या एक से अधिक भागों में संचयी रुप में प्राप्त करें।
29.6	अनुपस्थित (बाह्य) सदस्यता पूर्व प्रभाव से नहीं दी जाएगी। यह लिखित अनुरोध प्राप्त होने और सामान्य औपचारिकता पूरी किए जाने पर प्रारम्भ होगी।
29.7	
30.	सरकार/मन्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों द्वारा परिसर का उपयोग ।
	परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों को एक माह की अविध हेतु बैच बुकिंग आधार पर अनुमित प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक खेल विधा के लिए प्रति घण्टा प्रति माह हेतु समय-समय पर यथा निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर बास्कटेबाल, फुटबाल, हॉकी, टेबल-टेनिस, बैडिमंटन, स्कवैश आदि खेलों के लिए यह लागू है। यह अनुमित मैदानों/कोर्टो/टेबल की उपलब्धता की शर्त पर प्रदान की जाएगी।
31.	नियमों एवं उप-विधियों की प्रतियों
31.1	खेल परिसर के नियमों और उप विधियों की एक प्रति परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है और साथ ही www.dda.org.in वेबसाइट पर भी दी गई है। नियमों और उप-विधियों की मुद्रित प्रति निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। नियमों और उपविधियों की सॉफ्ट कॉपी सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी और उन्हें एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी कि इसे ई-मेल से भेज दिया गया। परिसर की सदस्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परिसर के नियमों, विनियमों और उपविधियों की पालना
31.2	करनी होगी।
32.	खेल सुविधाओं का गैर सदस्य छात्रों द्वारा उपयोग

स्कूली छात्रों को निर्धारित दरों पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खेल परिसर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मासिक पास जारी किए जाएंगे। स्कूली छात्र भी उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं जिसके लिए सदस्यों द्वारा देय दरों का 50% उपयोगकर्त्ता प्रभार के रुप में भुगतान किया जाएगा।

33. कोचिंग

कुछ खेलों के लिए परिसर में कोचिंग उपलब्ध है। परिसर योग्य कोचों की सेवाएं प्रदान कराता है। कोचिंग क्लास और फीस का विवरण खेल परिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

- परिसर के कोचों के अतिरिक्त, सदस्यों, अतिथियों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर में किसी अन्य निजी कोचिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। परिसर के प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा धोखेबाजी अथवा किसी कदाचार हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे सदस्य/व्यक्ति को परिसर से विवर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - यदि कोई व्यक्ति अनिधकृत निजी कोचिंग में संलिप्त पाया जाता है तो परिसर प्राधिकारी के पास ऐसे सदस्य/व्यक्ति को परिसर से विवर्जित करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे सदस्य/व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 33.2 अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। खेल परिसर में सदस्यों/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समूह में कोचिंग गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं
- 33.3 यथा लागू विलंब शुल्क प्रतिदिन के लिए देय होगा लेकिन अधिक-से-अधिक मासिक कोचिंग प्रभार का 50% देय होगा।

33.4

34. **समय:**

खेल परिसर के खुलने और बंद होने का समय और उसमें प्रदान की जाने वाली कोई भी सुविधा प्रबंधन मंडल के आदेश के अनुसार होगी। सामान्यतः, गर्मी में समय सुबह 6.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक होगा। सर्दी में, खेल परिसर सुबह 6.30 बजे खुलेगा और सदस्य शाम 8.30 बजे तक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। खेल सुविधाओं के लिए परिसर सोमवार को बंद रहेगा। प्रबंधन मंडल कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेतु विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है।

35. किसी हानि/चोट/क्षति के लिए मुआवजा :

"सदस्यों उनके आश्रितों और उनके अतिथियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार की सावधानी बरतनी अपेक्षित है तािक किसी व्यक्ति को कोई हािन, चोट अथवा क्षित न पहुंचे। दि.वि.प्रा. और/अथवा खेल परिसर का प्रबंधन किसी सदस्य, उसके आश्रितों अथवा खेल परिसर में लाए गए किसी अन्य व्यक्ति अथवा खेल परिसर से गुजरने वाले व्यक्ति अथवा खेल परिसर की किसी भी सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को लगने वाली किसी चोट, हािन अथवा क्षित के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दि.वि.प्रा. और प्रबन्ध मण्डल किसी व्यक्ति को अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति की लापरवाही से अथवा अन्य कारण से परिसर का उपयोग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वरा दि.वि.प्रा. और उसके प्रबंध-मण्डल को होने वाली क्षित की भरपाई की जाएगी।"

36. खेल सुविधाओं के बाधित होने पर शुल्क वापसी :

बिजली की आपूर्ति रुक जाने, खराब मौसम, वर्षा अथवा प्रबंधन के नियन्त्रण से बाहर किसी अन्य कारण के लिए राशि एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से वापिस की जाएगी या भविष्य में समायोजित की जाएगी। टिप्पणी:-

- 1. यदि आवेदक को सदस्यता के अनुमोदन/अस्वीकार होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि वे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के अंदर अपनी सदस्यता के अनुमोदन के बारें में पूछताछ करें। ऐसा पत्र प्राप्त न होने से सदस्य का कोई दावा नहीं होगा।
- 2. मासिक अंशदान के बिल को ई-मेल द्वारा प्रत्येक तिमाही भेजा जाएगा। सदस्यों को एसएमएस भी भेजा जाएगा कि बिल ई-मेल द्वारा भेज दिया गया है। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे अन्तिम तिथि या उसके पूर्व बकायों का भुगतान कर देंं। देरी से भुगतान के लिए 500 रु. अधिभार वसूला जाएगा।

3.	खेल सुविधा क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सदस्य को स्वागत कक्ष/गेट पर तैनात सुरक्षा कार्मिक/खेल परिचारक को सदस्यता कार्ड/रसीद दिखाना अनिवार्य है। परिसर के कर्मचारी/अधिकारी किसी भी समय कहीं भी सदस्यता कार्ड की जांच कर सकते हैं।
	समय कहा मा सदस्यता कांड का जांच कर सकत है।

परिसर उप-विधि

परिभाषाः-1. इस 'उप-विधि' में प्रयोग किए गए 'सदस्य' शब्द में व्यक्तिगत, निगमित, अस्थायी, विशेष अस्थायी, आकस्मिक, मानद्, विशेष मानद्, एसोसिएट, अनिवासी भारतीय, वरिष्ठ नागरिक सदस्यता और छात्र सदस्यता शामिल है। कार्य दिवस और समय:-2. परिसर सोमवार जो कि खेल-सुविधाओं के लिए छुट्टी का दिन है और प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित किसी दिन और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिनों (अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) और दीपवली,होली एवं दशहरा (अपराह्न 2.00 बजे के बाद) को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों को खुला रहेगा। परिसर सामान्यतः सर्दियों में अर्थात् 1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक और गर्मियों में अर्थात 1 मार्च से 30 नवम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खुला रहेगा। विभिन्न खेलों/ गतिविधियों के लिए समय प्रबंध बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित होगा। इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। परिसर के प्रशासनिक/लेखा कार्यालय प्रत्येक रविवार, दूसरे शनिवार और सभी राजपत्रित अवकाश दिवसों को 4. बंद रहेंगे। लेखा कार्यालय द्वारा भुगतान प्रातः 10.00 बजें से दोपहर 3.00 बजे तक (दोपहर 1.00 बजें से 1.30 बजे तक भुगतान अवकाश को छोंडकर) स्वीकार किया जाएगा। प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विशिष्ट दिन निर्धारित कर सकता है, जिसमें अतिथियों को आने की अनुमति नहीं होगी और 5. इसके अतिरिक्त खिलाडियों द्वारा कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं के उपयोग हेत् विशिष्ट समय/दिन निर्धारित कर सकता है। परिसर के कर्मचारी: 6. सदस्य, उनके अतिथि और आश्रित व्यक्ति परिसर के किसी कर्मचारी के साथ गाली-गलौच नहीं करेंगे और किसी भी स्टाफ-सदस्य के साथ किसी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं करेंगे। परिसर के किसी भी कर्मचारी द्वारा सदस्य के विरूद्ध दुर्व्यवहार करने की स्थिति में उसी/अगले कार्य दिवस को सचिव को लिखित में मामले की रिपोर्ट की जाएगी और शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी। सचिव या तो स्वयं मामले की जांच कर सकते हैं अथवा मामला प्रबंध बोर्ड के समक्ष. जैसा वह आवश्यक समझें. भेज सकते हैं। किसी भी सदस्य, उनके आश्रित व्यक्ति अथवा अतिथि द्वारा परिसर के किसी भी कर्मचारी को निरूद्देश्य, 7. व्यक्तिगत कार्य अथवा अन्य किसी प्रकार से उनके कार्य से कहीं भी भेजा नहीं जाएगा। कर्मचारी को इनाम देना:-8. कोई भी सदस्य परिसर के किसी भी कर्मचारी को इनाम के रूप में कोई राशि नहीं देगा। कर्मचारी/परिसर के कर्मचारी इनाम नहीं मागेंगे/लेंगे। पौधो, पौध और लघु पौधों की आपूर्तिः 9. पौधों, पौध और लघु पौधों की बिक्री की अनुमित नहीं है। सदस्य माली अथवा किसी कर्मचारी को ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। मॉलियों द्वारा सदस्यों को पौधे, फूल आदि देना मना है। वस्तुओं/सामग्री की बिक्रीः 10. खेल परिसर में अधिकृत दुकान से भिन्न किसी अन्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री बेचने पर कडी पाबंदी है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। क्षति एवं टूट-फूटः 11.

यदि सुविधाओं का उपयोग करने के दौरान सदस्यों, उनके अतिथियों आश्रितों अथवा उनके नौकरों द्वारा परिसर की किसी भी सम्पत्ति की क्षिति होती है तो उनसे सभी क्षिति की पूरी कीमत वसूली जाएगी। तथापि, प्रबन्ध-मण्डल की राय में, किसी सम्पत्ति को जानबूझ कर तोड़ा गया हो तो सदस्य को उस क्षितग्रस्त संपत्ति की राशि की छह गुना राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, प्रबन्धन परिसर संपत्ति का जानबूझ कर नुकसान करने वाले सदस्यों की सदस्यता को सस्पेंड/सदस्यता समाप्त कर सकता है। यदि गैर-सदस्य इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो क्षितग्रस्त संपत्ति की राशि का भुगतान करने के अलावा, खेल परिसर में उनका प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा।

12. सुझाव या शिकायतेः

यदि कोई सुझाव या शिकायत हो, तो इस उद्देश्य के लिए रखी गई सुझाव/शिकायत-पुस्तिका में उसे दर्ज किया जा सकता है, जिसे किसी भी सदस्य द्वारा रिसेपशन से प्राप्त किया जा सकता है। सुझाव/शिकायत को सचिव और प्रबन्ध बोर्ड द्वारा देखा जाता है और तद्नुसार निपटाया जाता है। शिकायतों को मोबाइल ऐप "Smartcity311" के माध्यम से ऑनलाइन भी रजिस्टर किया जा सकता है। तथापि, पति-पत्नी और आश्रित बच्चों को सुझाव/शिकायत पुस्तिका में सुझाव अथवा शिकायत दर्ज करने की अनुमित नहीं है। यह स्वयं सदस्य द्वारा दर्ज की जानी चाहिए।

13. परिसर का सामान:

किसी भी सदस्य अथवा परिसर के बाहर के किसी भी संगठन को परिसर की सम्पत्तियाँ जैसे फर्नीचर,क्रोंकरी अथवा अन्य उपकरण जारी/किराए पर नहीं दी जाएंगी।

14. पालतू जानवरः

परिसर के किसी भी भाग में कुत्तों/पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमित नहीं है। इस उप-विधि का उल्लंघन करने पर कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक पर निर्दिष्ट जुर्माना लगाया जाएगा।

15. साईकिल/स्कूटरः

परिसर के लॉन/कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक में साईकिल, स्कूटर और मोटर साईकिल चलाने की अनुमति नहीं है।

15.1 | जॉगिंग ट्रैक पर परैम्ब्यूलैटर्स का उपयोग करना सख्त मना है।

16. नोटिसः

किसी भी छपी सामग्री/सर्कुलर पत्र को परिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले परिसर के सचिव को अनुमोदन के लिए भेजना होगा। सदस्यों को किसी भी प्रकार का नोटिस लगाने की अनुमित नहीं है। नोटिस को सामान्यतः एक सप्ताह के लिए लगाया जाएगा।

17. भुगतानः

किसी भी प्रकार का नकद भुगतान स्वीकार्य नहीं है। नकद भुगतान को छोड़कर सभी भुगतान ऑनलाइन अथवा ऊपर निर्दिष्ट अन्य माध्यमों द्वारा किए जाएंगे।

18. वाहनों की पार्किंगः

सदस्य अपने कार/स्कूटर/साईकिल/मोटर साईकिल आदि की पार्किंग केवल निर्धारित सतही पार्किंग खंड पर ही करेँ। निर्धारित पार्किंग खंड से बाहर पार्किंग करने की अनुमति नहीं है।

- 19. 'नो पार्किंग एरिया' में गलत तरीके से वाहन खड़ा करने के मामले में सदस्यों/उनके आश्रितों व्यक्तियों को जुर्माना अदा करना होगा।
- **20.** खेल परिसर किसी वाहन के खाने अथवा वाहन के अंदर रखी किसी वस्तु अथवा लगी हुई वस्तु चाहे वह वाहन के अन्दर रखी हो अथवा उसमें फिट की गयी हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 21. | खेल परिसर के अंदर साईकिल सहित वाहनों की पार्किंग पूर्णतः स्वामी के जोखिम पर है।

22. परिसर में तेज गति से वाहन चलानाः

परिसर में कारों/स्कूटरों/मोटर साईकिलों की गति 10 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिसर में गति का अधिक होना और हॉर्न जोर से बजाना मना है।

23. | ड्रैस नियमः

सदस्य परिसर में ड्रेस पहनने के संबंध में उचित मर्यादा का पालन करें। किसी भी विशेष खेल सुविधा का प्रयोग

करते हुए उपयुक्त खेल परिधान पहने जाए। किसी भी परिस्थिति में,किसी भी खेल सुविधा का उपयोग करने के लिए सलवार कमीज/कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, बिनयान, चप्पल/बाधरूम स्लिपर्स, ड्रेसिंग गाउन इत्यादि को पहनने की अनुमित नहीं होगी। तथापि, जॉगिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, धोती और साड़ी पहनने की अनुमित होगी।

24. प्रत्येक खेल/गेम के लिए उप-विधि में निर्धारित उचित स्पोर्टस-किट पहननी होगी।

25. अल्पाहारः

- 25.1 परिसर में बाहर का खाना लाना निषेध है।
- 25.2 खेल परिसर में जन्मदिन और अन्य पार्टियां करने की अनुमति नहीं है।
- ^{25.3} परिसर में सामाजिक आयोजन करने की अनुमति नहीं है।
- ^{25.4} खेल परिसर में किसी भी उत्सव को मनाने की सख्त मनाही है।

26. मद्यपान एवं धुम्रपानः

26.1 कॉम्पलैक्स के परिसर में शराब या अन्य नशीली वस्तुओं या धुम्रपान का सेवन करते हुए पाए जाने वाले सदस्यों/गैर-सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी/उनकों खेल परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा।

27. शूटिंग/फोटोग्राफी

कॉमर्शियल फिल्में/विज्ञापनों के लिए निर्दिष्ट प्रतिदिन शुल्क के साथ वापसी योग्य प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान अग्रिम राशि के रूप में किया जाए।

28. अनुशासनहीनता के कारण सदस्यता का निलम्बनः

आयुक्त (खेल) को खेल परिसर में अनुशासनहीनता करने पर किसी भी सदस्य और आश्रित की सदस्यता को निलम्बित करने का अधिकार है, जिसमें खेल परिसर के नियमों, विनियमों और उप-विधि का उल्लंघन करना शामिल है। गैर सदस्यों द्वारा ऐसा आचरण करने पर उनका परिसर में प्रवेश करना वर्जित होगा।

सदस्यता के निलम्बन पर निम्न कार्यवाही की जाएगीः

- 1) निलम्बित सदस्य को सदस्यता की स्थिति पर सदस्य को सदस्यता पुनः ग्रहण करने का अधिकार (लीयन) होगा।
- 2) उसे सदस्यता कार्ड वापिस करना होगा।
- जब तक निलम्बन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उसे सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमित नहीं होगी।
- 4) जांच के पश्चात् यदि सदस्य निर्दोष सिद्ध होता है, तो उसे बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि सदस्य दोषी सिद्ध होता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

29. परिसर में हथियार और गोला-बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है।

30. विदेशी नागरिकों की पहचान

ड्यूटी-कर्मी खेल परिसर में खेल सुविधाओँ का उपयोग करने वाले विदेशी नागरिकों से निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करें :-

- 1) पासपोर्ट और वीजा।
- 2) उन संस्थानों/संगठनों से पत्र, जहाँ विदेशी नागरिक कार्यरत हो।
- 3) कोई भी अन्य दस्तावेज, जो दिल्ली में उस विदेशी नागरिक के कानूनी रुप से उसके निवास की पुष्टि करता है।

खेल उपविधि-टेनिस

1.	टेनिस के लिए क्ले-कोर्ट एवं सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट उपलब्ध हैं। क्ले कोर्ट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। घंटो के आधार पर निर्धारित प्रभारों के अनुसार सदस्यों, अतिथियों और आकस्मिक सदस्यों द्वारा भुगतान 'करो और खेलों' आधार पर सिन्थेटिक सरफेस कोर्ट का प्रयोग किया जायेगा।
2.	सदस्य/आश्रित सदस्य खेलने से पूर्व परिचर के यहाँ रखे गये रजिस्टर में अपना नाम एवं सदस्यता संख्या और आने का समय लिखेंगे। परिचर/परिसर प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
3.	खेलने के लिए प्राथमिकता 'पहले आओ, पहले खेलो' के आधार पर होगी। तथापि, सदस्यों को प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक और सांय 6.00 बजे से रात 8.00 बजे तक के व्यस्त घंटों के दौरान भी खेलने का अधिकार होगा।
4.	अस्थायी/आकस्मिक सदस्य और अतिथि प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक और रात्रि 8.00 बजे से कोर्ट को बुक कर सकते हैं।
5.	क्ले कोर्ट पर खेल की अवधि आधे घण्टे होगी अथवा एक सैट होगी, इनमें से जो भी पहले खत्म होगी, वही अवधि होगी। 5 ऑल होने पर टाई ब्रेकर होगा। सदस्यों की भीड़ होने पर केवल एक छोटे सैट अर्थात 11 गेम से अधिक खेलने की अनुमति नहीं होगी।
6.	तैयारी (वार्मिंग अप) :-
	तैयारी (वार्मिंग अप) की अवधि 3 मिनट की होगी, जो 30 मिनट के खेलने के समय में ही शामिल होगी।
7.	सिंगल्स :-
	सिंगल्स तभी खेला जाएगा, जब कोई डबल्स अथवा "मेड अप फोर" प्रतीक्षा न कर रहा हो।
8.	प्लेयिंग गिअर :-
	खेलने के लिए सदस्यों/आश्रित सदस्यों को अपना टेनिस रैकेट और बॉल स्वयं लानी होगी।
9.	बॉल-ब्वॉय की अनुमति नहीं होगी न ही उन्हें नियुक्त किया जायेगा।
10.	धूम्रपान कोर्ट क्षेत्र में धूम्रपान करना मना है।
11.	ड्रैस
	खेलते समय टी-शर्ट, शॉर्टस (महिलाओं के लिए स्क्टर्स, शॉर्टस और लेगिंग्स) तथा टेनिस जूते पहनने होंगे। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में होगी।
12.	कोचिंग
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा।
13.	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। ग्रैक्टिस वाल
13.	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की
13.	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी।
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट)
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर)
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 9 बजे तक।
	निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, कोचिंग के लिए मार्कर की सेवाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट उपलब्ध रहेगा। प्रैक्टिस वाल आधे कोर्ट जितनी एक प्रैक्टिस वाल प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक आधे कोर्ट पर अधिकतम दो व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते है, यदि अन्य सदस्य प्रैक्टिस के लिए प्रतीक्षा कर रहे है तो बॉल का उपयोग करने की सीमा एक समय में 10 मिनट होगी। समय (क्ले कोर्ट) गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर) पूर्वाह्न 6 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 9 बजे तक। सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी)

लाइट में खेलने के लिए निर्धारित प्रभार का भुगतान करना होगा।

- 2. बुकिंग राशि का भुगतान रिसेपशन पर किया जाएगा। अपेक्षित प्रभारों का भुगतान कर सदस्य तीन दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ऑनलाइन कोर्ट बकु कर सकते हैं।
- 3. कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि की अनुमित नहीं होगी।
- 4. कोर्ट के अंदर लाने वाली बॉले रबड़ के बेस वाले एक कैन में अथवा एक कार्ड-बोर्ड बाक्स में होनी चाहिए। बाल वाली प्रेशराइज्ड कैन खुली होनी चाहिए और इसे कोर्ट के बाहर छोड़ना चाहिए।
- 5. कोर्ट के अंदर लकड़ी अथवा एल्युमिनियम बेस वाली कुर्सियों/मेजों की अनुमति नहीं होगी।
- 6. कोर्ट में केवल नॉन मार्किंग शूज पहनने की अनुमति होगी।
- टेनिस कोर्ट में म्यूजिक प्ले करने की अनुमित नहीं है।
- 8. परिसर प्रबंधन की अनुमित के बिना टेनिस एरिना में या उसके आसपास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमित नहीं है।
- 9. कोर्ट में उचित शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखें।

टेबल टेनिस

सदस्यों एवं उनके आश्रितों द्वारा निर्धारित समयाविधयों में सुविधाओं का उपभोग किया जा सकता है। अतिथि एवं अनियत सदस्य भी निर्धारित दरों के अनुसार भूगतान के पश्चात सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। टेबल टेनिस 'भुगतान करें और खेले' के लिए है। बुकिंग शुल्क का भुगतान स्वागत कक्ष पर किया जाएगा। 2. सदस्य अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके टेबल की बुकिंग तीन दिन पहले और सामान्य सदस्य एक दिन पहले कर सकते हैं। वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं वे परिसर में पहँचने के समय परिचारकस्वागत कक्ष के पास रखे रजिस्टर / 3. में अपना नाम और सदस्य संख्या दर्ज करें। परिसर कर्मचारी के मांगने पर सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी। 4. खेलने की प्राथमिकता- बुकिंग के आधार पर खेलने की अनुमित है। परिचारक टेबल के समुचित उपयोग 5. की निगरानी रखेंगे। खेलने की अवधि- खेलने की अनुमति 40 मिनट 6. खेलने के उपकरण- खिलाडियों को खेलने के लिए स्वयं का टेबल टेनिस बैट और बॉल लानी होगी। 7. **परिधान**-निकर (शॉर्टस)/ टैक लोअर। खेलने के दौरान टी-शर्ट और नॉन मार्किंग सोल वाले जुते पहनने की 8. अनुमति है। धूम्रपान-टेबल टेनिस हॉल के अंदर धूम्रपान करना सख्त मना है। 9. सम्चित व्यवहार का पालन निम्नानुसार किया जाएगाः-10. 1) जब टेबल का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, सभी लाइट ऑफ करें। 2) शांति बनाए रखें। 3) खेल/समय खत्म होने पर टेबल खाली कर दें। 4) परिधान संबंधी विनियमों का अनुपालन करें। 5) अपने नाम और सदस्य संख्या के साथ अपने आने का समय दर्ज करें। 6) दीवारों के सहारे खड़ें न हों, वहाँ रखी गई कुर्सियों पर बैठें। समयावधि:-10. ग्रीष्मकालीन समयावधि (1 मार्च से 30 नवम्बर) : प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक। शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।

<u>आउटडोर बैडमिंटन</u>

1.	परिसर समयाविध के अनुसार बैडिमंटन कोर्ट पर सदस्य और उनके आश्रित खेल सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि निर्धारित द्रों के अनुसार दिन् का भुगूतान करके कोर्ट् का उपयोग कर सकते
	हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और सायं 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कोर्ट के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
_	
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में
	अपना नाम, सदस्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा। परिसर कर्मचारी को सदस्यता
	कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
4.	खेलने की प्राथमिकता – यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक आगमन पंजिका पर
	आगमन क्रम के अनुसार कोर्ट आवंटित करेगा।
	1) कोर्ट संख्या 1 और 2 – सदस्यों के लिए।
	2) कोर्ट संख्या ३ - आश्रितों के लिए।
5.	खेलने की अवधि –40 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। वार्मिंग अप के लिए 3 मिनट का
	समय दिया जाएगा। यह खेल की अवधि के 40 मिनट में ही शामिल माना जाएगा।
6.	जब कोई "डबल्स" प्रतीक्षारत नहीं होगा तभी "सिंगल्स" खेला जाएगा।
7.	खेल उपकरण (स्पोर्टस गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का रैकेट एवं शटल कॉक्स लाना होगा।
8.	ड्रैस – निकर (शॉर्टस) अथवा ट्रैक लोअर के साथ ही टी-शर्ट एवं स्पोर्टस जूते पहनने की अनुमति होगी।
9.	समयावधि :
	ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक।
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक।
10.	आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
11.	परिसर प्रबंधन की अनुमित के बिना आउटडोर बैडिमंटन एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर विज्ञापन/बैनरों के प्रदर्शन की अनुमित नहीं है।
12.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन किया जाना अपेक्षित है।
13.	कोर्ट के अंदर खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड ड़िंक्स इत्यादि की अनुमति नहीं है।

<u>स्कॉश</u>

1.	परिसर समयाविध के अनुसार सदस्य और उनके आश्रित कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
2.	अनियत सदस्य और अतिथि सदस्य निर्धारित दरों के अनुसार दिन का भुगतान करके कोर्ट का उपयोग कर
	सकते हैं। हालांकि उन्हें क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे
	तक के बीच कोर्ट के उपयोग में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।
3.	वे सभी जो खेलने के इच्छुक हैं, अपने आगमन पर स्वागत कक्ष/परिचारक के पास रखे गए रजिस्टर में अपना
	नाम, सदस्यता संख्या और आगमन का समय दर्ज करना होगा।
4.	परिसर कर्मचारी को सदस्यता कार्ड/भुगतान की रसीद दिखानी होगी।
5.	खेलने की प्राथमिकता:- यह 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। परिचारक कोर्ट आबंटित
	करेगा।
6.	खेलने की अवधि:- 30 मिनट अथवा एक बाजी, इनमें से जो भी पहले हो। नोकिंग/वार्मिंग अप के लिए 3
	मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा, जो कि खेलने की 30 मिनट की अवधि में ही शामिल होगा।
7.	आरक्षित कोर्ट :-व्यक्तिगत सदस्यता वालों के लिए कोर्ट नं.1 और कोर्ट नं.2 क्रमशः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः
_	8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आरक्षित रहेंगे।
8.	खेल उपकरण (स्पोर्टस गियर) : खिलाड़ियों को अपना स्वयं का स्कवॉश रैकेट एवं बॉल लानी होगी।
9.	ड्रैस – खेलने के लिए निकर (शॉर्टस)/टी-शर्ट एवं खेलने वाले जूते पहनने की अनुमति होगी। वार्मिंग अप के
	लिए ट्रैक सूट पहन सकते हैं। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी।
10.	सदस्यों को कोर्ट में जाने से पहले अपने जूते साफ करने होंगे।
11.	धूम्रपान- कोर्ट अथवा दर्शक-दीर्घा में धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
12.	समयावधि :
	<u>ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :</u>
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक।
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक।
13.	स्क्वॉश कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
14.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना स्क्वॉश एरिना के अंदर अथवा उसके चारों ओर विज्ञापन/बैनरों को
	प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।
15.	खेल-प्रतियोगिता के दौरान दर्शक-दीर्घा में अधिकतम 25 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।
16.	कोर्ट में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन करना अपेक्षित है।
17.	कोर्ट के अंदर खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि की अनुमति नहीं है।

<u>बिलियर्डस/स्रूकर</u>

1.	बिलियर्डस कक्ष की सुविधा केवल सदस्यों, उनके आश्रित सदस्यों, अस्थायी/आकस्मिक/अतिथि सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
2.	बिलियर्डस कक्ष में 12 वर्ष से कम आयु के आश्रित सदस्यों को आने की अनुमति नहीं है।
3.	सदस्यों को मार्कर/परिसर के कर्मचारी को अपने कार्ड/दिन की भुगतान की रसीद दिखानी होगी और इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में सदस्यता/समय इत्यादि का विवरण दर्ज करना होगा।
4.	बिलियर्डस/स्रूकर टेबल के उपयोग के लिए निर्धारित प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।
4.1	बिजली आपूर्ति बाधित होने पर अथवा परिसर प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर अन्य किसी कारण से खेल बाधित होने पर भविष्य में खेलने की व्यवस्था की जाएगी।
5.	यदि अन्य सदस्य टेबल की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई भी सदस्य मार्कर के साथ गेम शुरू नहीं करेगा परन्तु जो गेम पहले ही शुरू किया जा चुका है उसे पूरा करना होगा। मार्कर के साथ खेलने वाला सदस्य, गेम के लिए भुगतान करता है।
6.	जब टेबल पर पहले से खेल चल रहा हो, तब खेलने के इच्छुक सदस्य इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करेंगे। वे पहले से चल रहे खेल की समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे, अन्यथा उनका नम्बर खत्म हो जाएगा।
7.	किसी भी गेम के लिए किसी भी टेबल को 30 मिनट से अधिक समय के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता।
8.	यदि कोई खिलाड़ी ऐसे खेलता है जिससे टेबल को नुकसान पहुँचने की संभावना हो, तब मार्कर के पास उस व्यक्ति का खेल रोकने और उसे आगे खेलने से रोकने का अधिकार है।
9.	खिलाड़ियों को टेबल पर बैठने, लेटने और ग्लासेस रखने की अनुमति नहीं है।
10.	बिलियर्डस कक्ष में धूम्रपान, खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि की सख्त मनाही है।
11.	दर्शकों से खेल के दौरान शांति बनाए रखना अपेक्षित है।
12.	यदि सदस्य अथवा उसके आश्रित सदस्य अथवा उसके अतिथियों अथवा आकस्मिक सदस्य द्वारा टेबल अथवा उसके कपड़े को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सदस्य को नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि नुकसान किया गया तो मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित की गई राशि का उसे भुगतान करना होगा। यदि मैनेजमेंट को यह लगे कि जान-बूझ कर नुकसान किया गया है, तो मूल्य से 6 गुना राशि वसूल की जाएगी। सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है और आकस्मिक सदस्यों द्वारा खेलने के टेबलों को जान बूझकर पहुंचाए गए नुकसान पर परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जा सकती है।
13.	कोचिंग – मार्कर को कोचिंग देने की अनुमित है। निर्धारित कोचिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ग्रीष्मकाल में कोचिंग का समय पूर्वाह्न 11 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक और शीतकाल में पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे तक होगा।
14.	समयावधि :- सोमवार अवकाश वाले दिन को छोड़कर प्रतिदिन निम्नलिखित घंटों के दौरान बिलियर्डस कक्ष खुला रहेगा।
	ग्रीष्मकाल में :- पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
	शीतकाल में:-पूर्वाह्न 10.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक।
15.	बिलियर्ड्स कक्ष में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
16.	परिसर प्रबंधन की अनुमति के बिना बिलियर्ड्स/स्रूकर एरिना के चारों-ओर विज्ञापन/बैनर्स को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है।
17.	बिलियर्ड्स कक्ष में समुचित व्यवहार एवं अनुशासन का पालन किया जाना अपेक्षित है।
18.	बिलियर्ड्स कक्ष में किसी भी खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि के सेवन की अनुमति नहीं है।

<u>ताइक्वान्डो</u>

1.	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर सदस्य, उनके आश्रित सदस्य और गैर सदस्य ताइक्वांडो की कक्षा में शामिल हो
	सकते हैं।
2.	ताइक्वांडो की कक्षा सोमवार को छोड़कर प्रति दिन शाम 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक (शीतकाल में) एवं
	शाम 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे (ग्रीष्मकाल में) तक आयोजित की जाएंगी।
3.	खिलाड़ियों/प्रतिभागियों को खेल के आरंभ होने से 10 मिनट पहले ही प्रैक्टिस एरिया में उपस्थित होना चाहिए।
4.	ड्रैस:
	प्रतिभागियों को केवल ताइकांडो की उचित यूनिफार्म में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।
	स्वयं की यूनिफार्म खरीदना जरुरी है।
	प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के जूतों की अनुमित नहीं होगी।
5.	प्रतिभागियों के अंगुलियों/अंगूठों के नाखून सही ढंग से कटे होने चाहिए।
6.	प्रैक्टिस एरिया में प्रतिभागियों के अतिरिक्त किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। दर्शक एरिना के
	बाहर से देख सकते हैं।
7.	धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा। कोच/प्रभारी को प्रैक्टिस को रोकने अथवा किसी
	खिलाड़ी को दुर्व्यवहार अथवा नियमों का पालन ना करने पर निष्काषित करने का अधिकार है।
9.	प्रतिभागियों/अभिभावकों को परिसर के प्राधिकृत स्टाफ को निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा और
	रसीद प्राप्त करनी होगी। कोचिंग कक्षा में जाने के लिए यह रसीद प्रमाण होगी।

क्रिकेट

यहाँ क्रिकेट मैदान पर एक मुख्य पिच है, जो मैचों के लिए सदस्यों और प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मीं हेतु एक दिन (प्रांत: 9.00 बजे से सायं 4.00) के लिए किरोये पर उपलब्ध है। यह मुख्य पिच प्रैक्टिस हेतू उपलब्ध नहीं है। ये उपनियम प्राथमिक रूप से क्रिकेट मैदान स्थित मुख्य पिच के लिए हैं। 2. ग्राउंड बुक करवाने संबंधी निर्धारित शुल्क ग्राउण्ड बुकिंग करते समय "केन्द्रीय लेखा इकाई (खेल), 3. दि.वि.प्रा." के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किया जाना है। भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/आर.टी.जी.एस. /एनईएफटी/ नेट-बैंकिंग द्वारा भी किया जा सकता है। यदि खराब मौसम अथवा अन्य किसी कारण से खेल संभव नहीं हो पाता है तो राशि वापस कर दी जाएगी। बिकेंग अग्रिम रूप से करवानी पड़ती है एवं बैंक डाफ्ट/पे-ऑर्डर/क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा बैंक अंतरण 4. द्वारा ही हायर करने संबंधी शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, मैच से 2 दिन पहले बुकिंग की पुनः पुष्टि करनी होती है। मैदान को किराये पर देने का अधिकार 5. प्रबंधन के पास सुरक्षित है। निम्नलिखित को उपलब्ध करवाया जाएगाः 6. 1) पिच रोलर 2) लाइन के साथ सीमा रेखा (बाउंड़ी) की मार्किंग 3) स्कोर बोर्ड क्रिकेट मैदन पर बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है। 7. परिसर में खाना बनाने/गर्म करने की अनुमति नहीं है। धुम्रपान की अनुमति नहीं है। 9. मादक पेय पदार्थों का सेवन सख्त निषेध है। 10. खेलते समय उचित क्रिकेट डेस पहननी होगी। 11. खेल उपकरण/सामग्री – टीम को अपने स्वयं के खेल उपकरण। सामान लाने होंगे। 12. **बैनर/विज्ञापन** – जब तक लिखित रुप में विशिष्ट अनुमित नहीं ली जाती है तब तक बैनर/विज्ञापन बोर्ड लगाने 13. की अनुमति नहीं है। परिसर प्रबंधन की अनुमित के साथ आवश्यक शुल्क देकर 15x15 फीट के टेंट को मैदान की सीमा पर 14. बल्लियों, रस्सों आदि से व्यवस्थित किया जा सकता है। मैदान पर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है। 15. परिसर में बाहर से खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्डिड्रिंक्स, इत्यादि नहीं लाए जाएंगे। ये सभी परिसर 16. कैफेटेरिया से खरीदे जा सकते हैं। मैदान पर संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। हालांकि कम आवाज पर केवल कॉमेंट्री हेतु माइक का प्रयोग 17. किया जा सकता है। ईवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट मैदान बुक करने की अनुमति नहीं है। 18. क्रिकेट मैदान पर समुचित अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाए रखा जाए। 19. प्रबंधन के पास क्रिकेट मैदान की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए अल्प अवधि सूचना मात्र पर रद्द करने का भी अधिकार है।

क्रिकेट-अभ्यास पिच

 वो टर्फ और दो सीमेन्टेड अथ्यास पिच बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं तथा चार टर्फ और एक सीमेन्टे पिच कोचिंग के लिए उपलब्ध हैं। निथीरित शुल्क का भुगतान करना होगा। सदस्यों एवं विशिष्ट के उपयोग करने की अनुमति हैं। सदस्यों के लिए-सदस्यों को सीमवार (अवकाश) को छोड़कर सभी दिनों में अथ्यास के लिए सीमेंट उपयोग करने की अनुमति हैं। प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए- एक दिन के अथ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए- एक दिन के अथ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के 9.00 से सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित इंडाफ्ट/भुगतान आदेश अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बैंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इक दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया जाना है। ऑनलाइन बुकिंग अग्निम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डे आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्निम बुकिंग अग्निम रूप से अधिकत पहले की जा सकती है। तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पृष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए प्रथिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया। अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंग आवंटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हरि जाने की अनुमति नहीं है। िमझलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, किसी प्रकार को बेठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। खेल उपकरण/साज समान:-खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। चेनर/विज्ञापन:-जब तक मैनजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। मैदान में बाहन लाने की अनुमति नहीं है। मैदान में वाहन लाने की अनुमति नहीं है। 	
सदस्यों के लिए.सदस्यों को सोमवार (अवकाश) को छोड़कर सभी दिनों में अभ्यास के लिए सीमेंट उपयोग करने की अनुमित है। प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए. एक दिन के अभ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के 9.00 से सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित इं इाफ्ट/भुगतान आदेश अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बेंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इक दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया जाना है। 2. ऑनलाइन बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डे आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रूप से अधिकत पहले की जा सकती है। 3. तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए प्रअधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। 4. अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया: 5. अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे आवंटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिंग जाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूप्रपान और मदिरा पान पर सख् दूस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:-खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टेंट लगाने अनुमित नहीं है।	
प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के लिए. एक दिन के अभ्यास हेतु प्रतिष्ठित क्लबों/फर्मों/सदस्यों के 9.00 से सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित इं इाफ्ट/भुगतान आदेश अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बैंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इक दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया जाना है। 2. ऑनलाइन बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डे आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रुप से अधिकत पहले की जा सकती है। 3. तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए प्रअधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। 4. अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दियाः अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे आवंटित समय/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिज जाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगीः 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख उम्रसः अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समानः खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। वैनर/विज्ञापनः जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है।	वाली पिच
 9.00 से सायं 3.00 बजे तक सोमवार को छोड़कर पिच किराये पर उपलब्ध है। निर्धारित इं इाफ्ट/भुगतान आदेश अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/बैंक स्थानान्तरण द्वारा "केन्द्रीय लेखा इक दि.वि.प्रा." के नाम से भुगतान किया जाना है। 2. ऑनलाइन बुकिंग अग्रिम रूप में की जानी चाहिए और किराया प्रभार का भुगतान क्रेडिट/डे आरटीजीएस/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रूप से अधिकत पहले की जा सकती है। 3. तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए प्रअधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। 4. अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जिं इं अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे आवंटित समय/अविध के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिजाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख ड्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। वैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन: बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	लिए प्रातः
आरटीजीएसं/इनईएफटी/नेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा। अग्रिम बुकिंग अग्रिम रूप से अधिकत पहले की जा सकती है। 3. तथापि अभ्यास से दो दिन पूर्व बुकिंग की पुनः पुष्टि करवा ली जाए। अभ्यास पिच को किराए प्रअधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। 4. अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जिंदी तथा साम्य/अवधि के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिंगिन की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिंदरा पान पर सख ड्रेस: अभ्यास के लिए निधीरित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:- जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	पुल्क बैंक
अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित हैं। 4. अभ्यास की पीचें केवल अभ्यास के लिए हैं। इसका उपयोग प्राइवेट कोचिंग के लिए नहीं किया जा कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जिं अभ्यास पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे आवंटित समय/अविध के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिष्णाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख डेंस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	
 कोई व्यक्ति प्राइवेट कोचिंग करता पाया गया तो उसे परिसर सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जिथा सिया पिच का उपयोग करने वाले, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे आवंटित समय/अविध के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिं जाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख् 9. ड्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	र देने का
आवंटित समय/अविध के पूरे होने के पश्चात् उन्हें पिच छोड़नी होगी। उन्हें अन्य सुविधा क्षेत्रों/हिर जाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. पिरसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख 9. ड्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	
जाने की अनुमित नहीं है। 6. निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:- 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख के देश अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	I
 1) रोल की हुई पिच 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख 9. द्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	त क्षेत्रों में
 2) अभ्यास पिच के चारों और जाल, 7. किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 8. परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख 9. देस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	
 किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख केस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	
 परिसर के अंदर खाना तैयार करने/गर्म करने की अनुमित नहीं है। धूम्रपान और मिदरा पान पर सख क्रेस: अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। खेल उपकरण/साज समान:- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। बैनर/विज्ञापन:-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	
 9. ड्रेसः अभ्यास के लिए निर्धारित क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी। 10. खेल उपकरण/साज समानः- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापनः-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है। 	
10. खेल उपकरण/साज समानः- खिलाड़ियों को खेल उपकरण/साज सामान अपना लाना होगा। 11. बैनर/विज्ञापनः-जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	त रोक है।
11. बैनर/विज्ञापनः -जब तक मैनेजमेन्ट से लिखित रूप में विशेष अनुमित प्राप्त नहीं कर ली जाए, बैन बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	
बोर्ड लगाने की अनुमित नहीं है। 12. मैदान में शामिआने और टैंट लगाने की अनुमित नहीं है। 13. मैदान में वाहन लाने की अनुमित नहीं है।	
13. मैदान में वाहन लाने की अनुमति नहीं है।	१/विज्ञापन
-	
14. परिसर के बाहर से खाने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड-ड्रिंक्स इत्यादि नहीं ला सकते। उन्हें केवल कैफेटेरिया से ही लेना होगा।	परिसर के
15. अभ्यास पिच के चारों ओर संगीत बजाने की सख्त मनाही है।	
इवेंट प्रबंधन एजेंसियों को क्रिकेट पिच किराये पर लेने की अनुमित नहीं है।	
17. क्रिकेट पिच पर समुचित अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखा जाए।	
18. प्रबंधन के पास अभ्यास पिचों की बुकिंग को एक अल्प अवधि की सूचना पर बिना कोई कारण बताए का अधिकार है।	रद्द करने

हॉकी (सिंथेटिक टर्फ)

सदस्यों और आश्रितों के लिए हॉकी ग्राउंड भुगतान करें और खले आधार पर निम्नलिखित दिए गए समय के अनुसार निर्धारित दरों पर उपलब्ध है।
क) प्रात 07.00 :बजे से सुबह (सर्दी और गर्मी) बजे तक 10.00
ख) दोपहर (गर्मी) बजे तक 5.00 बजे से शाम 3
कुछ निश्चित अवधि हेतु मैदान को खेल के लिए बंद किया जा सकता है जिसकी अग्रिम सूचना दे दी जाएगी।
व्यक्तिगत/टीम को अपनी हॉकी स्टिक और बॉल स्वयं ही लानी होगी।
दिन के समय प्रातः 10 बजे से सायं 3.00 बजे के बीच हॉकी मैदान व्यवस्थित खेल हेतु उपयोग किए जाएंगे।
शाम में व्यवस्थित टीमों/मैचों के लिए मैदान आबंटित करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है।
ड्रैसः -उचित किट, जैसे निक्कर, शर्ट और खेल के जूतों की ही अनुमित है। ट्रैक सूट केवल वार्म-अप अवधि के दौरान पहना जा सकता है।
धूम्रपान की अनुमति नहीं है।
खेल परिसर के अंदर और खेल के दौरान अनुशासन और खेल शिष्टाचार बनाए रखें। परिसर के किसी भी नियम/उपविधि का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को सुविधाओं का उपयोग करने से रोक दिया जाएगा।
कोचिंग -:कोचिंग सुविधा सप्ताह में छह दिन सुबह बजे तक निर्धारित दरों पर 10.00 बजे से सुबह 7.00 उपलब्ध है।
हॉकी/फुटबॉल मैदानों पर निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है।
मैदान के चारों ओर संगीत बजाने की अनुमित नहीं है। हालांकि, केवल कॉमेन्ट्री के उद्देश्य हेतु माइक का उपयोग किया जा सकता है।
मैदान में मादक पेय पदार्थों के सेवन की सख्त मनाही है।
परिसर में खाद्य सामग्री, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि बाहर से नहीं लाए जाएंगे। ये सभी कैफेटेरिया से खरीदे जा सकते हैं।
इवेन्ट प्रबंधन एजेंसियों को हॉकी मैदान किराये पर लेने की अनुमति नहीं है।
हॉकी मैदान पर समुचित अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाए रखा जाए।
प्रबंधन के पास हॉकी मैदान की बुकिंग को एक अल्पावधि सूचना पर बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार है।

<u>फुटबॉल</u>

1.	फुटबॉल मैदान नीचे दिए गए समय के अनुसार निर्धारित शुल्कों पर कोचिंग के लिए उपलब्ध है।
	क) 03 00.सायं से सायं तक। 06.00
2.	मैदान को कुछ अवधि के लिए रखरखाव हेतु रखा जा सकता है। जिसे अग्रिम रूप से अधिसूचित किया - जाएगा।
3.	व्यक्ति टीम द्वारा स्वयं की फुटबॉल लानी होगी।/
4.	फुटबॉल मैदान का उपयोग दिन के समय आयोजित खेलों के लिए किया जाएगा।
5.	सुबह के समय आयोजित टीममैचों के लिए मैदान आबंटित करने का अधिकार प्रबंधन के पास आरक्षित / है।
6.	ड्रैसपर्याप्त किट अर्थात् शॉट :, शर्ट और स्पोर्टस शूज की ही अनुमित है। ट्रैक सूट केवल वार्मिंग अप के लिए ही पहना जा सकता है।
7.	खेल के मैदान में धूम्रपान वर्जित है।
8.	खेल के समय और खेल परिसर के अंदर अनुशासन और खेल शिष्टाचार का ध्यान रखा जाए। परिसर के नियमों उपनियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन व्यक्ति को इस सुविधा के उपयोग से बाहर कर सकता है।/
9.	मैदानों के आसपास संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। तथापि-, केवल कमेंट्री के उद्देश्य से माइक का प्रयोग किया जा सकता है।
10.	मैदान में शराब पीना सख्त मना है।
11.	खाद्य पदार्थ चायकॉफी/, कॉल्ड ड्रिंक आदि परिसर के बाहर से नहीं लाए जाएंगे। उन्हें परिसर के कैफिटेरिया से ही खरीदा उपयोग किया जाए।/
12.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को फुटबॉल मैदान को बुक करने की अनुमति नहीं है।
13.	फुटबॉल मैदान में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाए रखे।
.14	कोई कारण बताए बिना प्रबंधन को अल्प सूचना पर बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है।

<u>एरोबिक्स</u>

1.	सदस्य एवं आश्रित निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। कक्षाओं में रिक्तियों की उपलब्धता होने पर निर्धारित भुगतान करके गैर सदस्यों को भी अनुमति दी जा सकती है।
2.	मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष में किया जाएगा, जिसके लिए भागीदार द्वारा रसीद प्राप्त की जानी चाहिए।
3.	एरोबिक्स कक्षाएं सप्ताह में पांच दिन (रविवार और सोमवार अवकाश दिवस) लगेंगी।

	प्रातः 7.15 बजे से प्रातः 8.15 बजे और शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक
4.	एरोबिक्स अनुदेशक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। भाग लेने वालों से अनुरोध है कि कक्षा आरम्भ होने से 10 मिनट पूर्व पहुंचे।
5.	ड्रेस – उचित खेल वस्त्र अथवा एरोबिक्स ड्रेस पहनी जाए।
6.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर केवल भाग लेने वालों को अनुमति है।
7.	कक्षा क्षेत्र के अन्दर धूम्रपान वर्जित है।
8.	नियमानुसार कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। दुर्व्यवहार अथवा नियमों की अवहेलना करने के लिए अभ्यास रोकने अथवा किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार कोच/अनुदेशकों को होगा।
9.	एरोबिक्स हाल में मदिरा का सेवन वर्जित है।
10.	एरोबिक्स हॉल में खाने-पीने के सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि के सेवन की अनुमति नहीं है।
11.	इवेंट मैनेजमेन्ट एजेंसियों को एरोबिक्स हाल बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
12.	एरोबिक्स हाल में उचित अनुशासन शिष्टता बनाए रखी जाए।

<u>योग</u>

1.	परिसर में सदस्य एवं आश्रितों के लिए योग कक्षाएं लगाई जाएंगी। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर योग्य अनुदेशकों द्वारा योग के लिए निर्धारित क्षेत्रों में योग कराया जाएगा। कक्षा में रिक्तियां होने पर शुल्क का भुगतान करने पर गैर-सदस्यों को अनुमित दी जा सकती है।
2.	कक्षाओं के लिए समय-समय पर समय सूचित किया जाएगा।
3.	ड्रेसः -उचित वेश-भूषा हो, अच्छा हो यदि ढीले वस्त्र पहने जाएं जो अधिक आरामदेह हो। अभ्यास क्षेत्र के अन्दर जूतों की अनुमति नहीं है।
4.	योग अभ्यास हेतु दरियां/चटाइयां भागीदारों द्वारा स्वयं लाई जाएंगी।
5.	जब कक्षा लगी हो, तब भागीदार को छोड़कर किसी को भी प्रैक्टिस हॉल के अन्दर आने की अनुमति नहीं है। दर्शक बाहर से देख सकते हैं।
6.	योग कक्षाओं के दौरान धूम्रपान वर्जित है।
7.	योगाभ्यास के दौरान शान्ति रखी जाएगी।
8.	कक्षा में सख्त अनुशासन रखा जाएगा। अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के लिए अभ्यास को रोकने और भागीदार को निकालने का अधिकार योग शिक्षक का होगा।
9.	योग शिक्षक के निर्देशों के तहत समय-समय पर विशेष कक्षाएं लगाई जा सकती हैं।
10.	निजी योग कोचिंग की अनुमति नहीं है।

<u>बास्केटबॉल</u>

	·
1.	सदस्य एवं आश्रित सदस्य बास्केट बॉल कोर्ट पर परिसर के समय के अनुसार खेल सकते हैं। अतिथि अथवा आकस्मिक सदस्य के रूप में निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके गैर सदस्य आ सकते हैं।
	-
2.	समयावधि :
	ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक
	<u>शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :</u>
	प्रातः ६.३० बजे से रात्रि ८.३० बजे तक
	(यदि स्कूलों/कॉलेजों को कोर्ट दिया गया है, तो पूर्वाह्न ९ बजे से अपराह्न ३ बजे तक कोर्ट उपलब्ध नहीं होगा।)
3.	गर्मियों में अपराह्न 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे और सर्दियों में अपराह्न 5 बजे से रात्रि 7 बजे के दौरान संगठित टीम खेल की अनुमति है। मैनेजमेन्ट के पास इसके लिए कोर्ट को देने का अधिकार सुरक्षित है।
4.	ड्रेसः - शर्ट, टी-शर्ट, और शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर स्पोर्ट्स शूज। महिलाएं 'सलवार कमीज' और शर्ट एवं स्कर्ट पहन सकती हैं।
5.	व्यक्ति/टीम अपनी बास्केट बॉल स्वयं लाएगी।
6.	कोर्ट में धूम्रपान करना मना है।
7.	खेलने के लिए परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध करने पर सदस्यता कार्ड/रसीद दिखानी होगी।
8.	खेल के दौरान अनुशासन एवं खेलने के वातावरण को बनाए रखना होगा। परिसर के नियम उपविधि का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सुविधा का उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है।
9.	कोर्ट में मादक पेय पदार्थों का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
10.	कोर्ट में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
11.	निजी बास्केटबॉल कोचिंग की अनुमति नहीं है।
12.	परिसर के बाहर से खाने-पीने का सामान, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्यादि लाने की अनुमति नहीं होगी। इनको परिसर के कैफेटेरिया से खरीदना होगा।
13.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को बास्केटबाल कोर्ट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।
14.	बास्केटबॉल कोर्ट में उचित अनुशासन एवं मर्यादा को बनाए रखा जाए।
15.	प्रबंधन के पास बास्केटबॉल कोर्ट की बुकिंग को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
_	

तैराकी

सदस्य एवं आश्रित व्यक्ति तरण-ताल की क्षमता के अनुसार स्थान की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ताल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सदस्यों के साथ आने वाले अतिथियों को प्रवेश की अनुमति दे सकते है, बशर्ते की ताल में स्थान उपलब्ध हो और अपेक्षित शुल्क का भगतान कर दिया गया हो। प्रत्येक सदस्य को अपना तैराकी पास/रसीद जमा करना आवश्यक है और स्वागत कक्ष में रखे गए रजिस्टर में 2. आते जाते समय अपना नाम तथा समय. सदस्यता-संख्या लिखना भी जरूरी है। पास धारकों को तैरने की अनुमति मासिक/सीजन पास में यथानिर्धारित समय और सत्र में दी जाएगी। पास धारकों को अपनी पारी के समय से 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह समय किसी अन्य सदस्य को आबंटित कर दिया जाएगा। सभी तैराक तरण ताल में प्रवेश करने से पहले शॉवर बाथ करेंगे। साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें उचित पोशाक पहनना आवश्यक है। लम्बे बालों वाले तैराकों के लिए कैप पहनना अनिवार्य है। कोच/लाइफ-गार्ड द्वारा दी गई सभी हिदायतों का अनुपालन करना अति आवश्यक है। प्रबन्धक/कोच किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा दुर्व्यवहार करने/नियमों का उल्लंघन करने के कारण तैरने से मना कर सकता है। किसी भी दुर्घटना अथवा हादसे के लिए प्रबंधकों की कोई जवाबदेही नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय किसी भी चोट अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु के लिए तैराक स्वयं जिम्मेदार होगा। अतः कोई भी दुर्घटना अथवा मृत्यु होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। नौसिखियों का लाल कैप पहनना अनिवार्य है। यदि कोई नौसिखिया उपर्यक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसा वह अपने जोखिम पर करेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे तालाब में न थूकें और न ही किसी अन्य तरीके से खराब करें। चर्मरोग/सर्दी-जुकाम से पीडित व्यक्ति को तैरने की अनुमति नहीं है। दर्शकों को पूलडैक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे दर्शक-दीर्घा में रह सकते हैं। 7. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को तरण ताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा बच्चे साथ लाए जाते है. तो 5 वर्ष से ऊपर और 8 वर्ष से नीचे के बच्चों को आने की अनुमति दी जा सकती है। कोई व्यक्ति चेंज रूम में कोई कीमती घडी/पर्स/धन/आभूषण आदि नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता 9. है तो वह ऐसा अपने जोखिम/जिम्मेवारी पर करेगा। सदस्यों की कीमती वस्त्र/सम्पत्ति की सुरक्षा हेत् प्रबंधक कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तैरते समय किसी भी प्रकार के आभूषणों जैसे- चेन, अंगूठी, चूडियां, इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है। तरण ताल परिसर में खाने की कोई वस्तु नहीं लाई जाएगी। धुम्रपान और मद्यपान पर सख्त रोक है। तरण-ताल प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। 10. किसी भी तैराक को तरण ताल के उपयोग की अनुमति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। किसी भी कारण से तरण-ताल के बंद होने/किए जाने पर तैराकी-शल्क (दैनिक/मासिक/सत्रीय) वापिस नहीं 12. एक सत्र में मुख्य पूल में 80 तैराकों (या जैसा कि पूल लाइसेंस में उल्लेख किया गया है) को केवल तैरने की 13. अनुमति है। शराब के सेवन के बाद तैरना मना है। 14. सदस्यों को बात करने के लिए एक समूह बनाने की अनुमति नहीं है। 15. स्विमिंग पल की चौडाई में तैराकी की अनुमति नहीं है। 16. स्विमिंग पूल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। 17. स्विमिंग पूल में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 18.

- 19. स्विमिंग पूल परिसर में खाद्य पदार्थों, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि की अनुमति नहीं है।
- 20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को स्विमिंग पूल बुक करने की अनुमति नहीं है।
- 21. स्विमिंग पूल में उचित अनुशासन एवं सदाचार बनाए रखें।
- 22. प्रबंधन को बिना कोई कारण बताए अल्पकालीन नोटिस पर स्विमिंग पूल की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है।

संस्थान हेतु निर्देश

संस्थाए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तरण-ताल को बुक कर सकती है। एक समय में अधिकतम 50 छात्रों को अनुमित दी जाएगी। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह स्कूल/कॉलेजों/संस्थान की होगी। यदि किसी संस्थान द्वारा तरण-ताल को प्रशिक्षण/प्रतियोगिता हेतु बुक कर दिया जाता है, तो वह संस्थान तालाब की किसी भी टूट-फूट की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा। किसी संस्थान/संस्था द्वारा तरण-ताल की बुकिंग को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। संगठन/संस्थान द्वारा रद्द करने के मामले में उनकी 25 प्रतिशत जमा राशि रद्दकरण प्रभार के रूप में काट ली जाएगी।

प्रभार/शुल्कः-निर्धारित दर के अनुसार

समय:-

प्रातः-

प्रथम सत्र प्रातः 6.00बजे से प्रातः 7.00 बजे तक द्वितीय सत्र प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तृतीय सत्र प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक चतुर्थ सत्र प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक पंचम सत्र प्रातः 10.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक

छठा सत्र प्रातः 11.00 बजे से प्रातः 12.00 बजे तक (केवल महिलाओं के लिए)

सायंः₋


सातवां सत्र दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (केवल महिलाओं के लिए) आठवां सत्र शाम 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक नवां सत्र शाम 5.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक दसवां सत्र शाम 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ग्यारहवां सत्र शाम 7.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक बारहवां सत्र रात 8.00 बजे से रात 9.00 बजे तक

(पूर्वाह्न11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सफाई)

नोट:-एक सत्र में 45 मिनट की तैराकी होती है और 15 मिनट चेन्ज/शावर में लगते हैं।

फिटनेस केन्द्र/मल्टीजिम

प्रवेश के समय प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्वागत कक्ष में रखे गए रजिस्टर में अपना नाम लिखना आवश्यक है। 1. सदस्यों को डैस कोड़ के अनुसार पोशाक अर्थात् ट्रैक सूट, टी-शर्ट, टाइट्स आदि पहनना आवश्यक है। स्टाफ के सदस्य अथवा अन्य किसी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाशत नहीं किया जाएगा। 2. प्रबंधकों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी सदस्य को जिमनेजियम के उपयोग करने से इंकार करने का पुरा अधिकार है। उपोयगकर्ताओं को परिसर में अपने कोच को लाने की अनुमति नहीं है। जिम में निरीक्षण/सहायता हेत् प्रशिक्षक 3. निःशल्क उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को पूर्ण अनुशासन और निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षक के पास किसी भी व्यक्ति को दूराचार अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर सुविधा का प्रयोग करने से इंकार करने का परा अधिकार है। गंभीर दिव्यांगता/स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त उपयोगकर्ता को फिटनेस केंद्र उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। 4. मल्टीजिम में कोई खाद्यपदार्थ/पेय पदार्थ (पानी के अलावा) नहीं लाया जाएगा। धूम्रपान, मदिरा के सेवन अथवा 5. किसी भी प्रकार के इंग्स के सेवन की सख्त मनाही है। म्यूजिक सिस्टम पर निजी कैसेट/सी.डी. /पेन-डाइव इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं है। सुविधा का उपयोग करते समय कोई दुर्घटना होने अथवा चोट लगने के लिए प्रबंधक जिम्मेदार नहीं होंगे। इस 6. सेन्टर का उपयोग सदस्य के जोखिम पर होगा। इसी प्रकार दुर्घटना होने अथवा चोट लगने, मृत्यू होने के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सदस्यों के कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधकों की नहीं होगी। सदस्यों को चेन्ज रूम में अपने 7. कीमती सामान/घड़ी/पर्स/रुपया-पैसा/आभूषण रखने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति ऐसा काम अपने जोखिम पर करेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वज़न उठाने की अनुमति नहीं है। 8. जिम के भीतर दर्शकों के लिए अनुमति नहीं है। 9. जिम में उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी उपकरण को जान-बुझ कर पहुँचाई गई क्षिति के लिए उपकरण को 10. बदलने/मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की होगी/ अँथवा पहली बार उन पर यथा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद ऐसे मामलों में उपयोगकर्ता को सेवाओं का प्रयोग करने से विवर्जित कर दिया जाएगा। स्विधा का प्रयोग करने के लिए अतिथियों को सदस्यों के साथ आना चाहिए। अतिथि द्वारा किसी भी प्रकार के 11. दुराचार/दुर्व्यवहार/असुविधा के लिए सदस्य उत्तरदायी होगा। प्रभार/शुल्क- निर्धारित दरों के अनुसार। 12. 13. समय:-गर्मियों में (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) : प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक सर्दियों में (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) : प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक टिप्पणी: फिटनेस सेंटर लाइसेंस पर पेशेवर व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है और वह इसके ठीक प्रकार से संचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई शिकायत करनी हो अथवा सुझाव देना हो तो उसे लाइसेंसधारी के पास रखी गई शिकायत/सुझाव पुस्तिका में लिखकर देना चाहिए। सदस्यगण किसी शिकायत/सुझाव के बारे में पारी प्रभारी को भी सूचित कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो सचिव को लिखित में दे सकते हैं।



स्केटिंग

सदस्य और उनके आश्रित व्यक्ति खेल परिसर के समयानुसार स्केटिंग रिंक का उपयोग कर सकते हैं। आकस्मिक सदस्य एवं अतिथि निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक भुगतान करके स्केटिंग रिंक का उपयोग कर 2. सकते हैं। तथापि रिंक में प्रवेश रिंक में स्थान उपलब्ध होने पर दियाँ जाएगा और समय-समय पर अटैंडेट/कोच द्वारा प्रवेश सीमित किया जा सकता है। सदस्य/आश्रित और अन्य व्यक्ति रिंक प्रवेश करने से पूर्व अपने नाम, सदस्यता संख्या, रसीद संख्या और परिसर 3. में आने के समय की प्रविष्टि परिचर के पास रखे रजिस्टर में करेगा। मांगे जाने पर सदस्यता कार्ड/भूगतान की रसीद दिखानी होगी। 4. स्कूली बच्चों के लिए प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच निर्धारित दरों पर छूट की व्यवस्था होगी। 5. स्कूलों/संस्थाओं/कॉलेजों द्वारा रिंक का उपयोग पूर्व बुकिंग द्वारा निर्धारित समय पर किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्केट और अन्य प्रोटेक्टिव हैड/बॉडी गियर लाए जाए। स्केटर से लगने वाली किसी चोट 6. के लिए परिसर उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्केटिंग के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी जिससे दूसरे भागीदार की सुरक्षा को खतरा हो। स्केटर को रिंक से बाहर स्केटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। दर्शक रिंक में प्रवेश नहीं करेंगे. स्केटिंग रिंक के चारो ओर रेलिंग पर बैठना सख्त मना है। दर्शक स्केटिंग गैलरी 7. से स्केटिंग देख सकेंगे। रिंक के अन्दर धूम्रपान और कुछ भी खाने अनुमति नहीं है। 8. उपयोगकर्ता/दर्शकों द्वारा पूरा अनुशासन और समुचित शिष्टाचार बनाया रखा जाना चाहिए। 9. नियमों की अवहेलना/खतरनाक स्केटिंग करने सम्बंधी दुर्व्यवहार करने पर परिचर/प्रशिक्षक को किसी भी 10. स्केटर को रोकने या उसे रिंक से बाहर निकालने का अधिकार होगा। रकेट बोर्ड[,] का प्रयोग वर्जित (निषेध) है। 11. स्टील के पहिये वाले स्केट को अनुमित नहीं दी जाएगी। शू के सामने की तरफ फिक्स कृत्रिम ब्रेक वाले रोलर 12. स्केट को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य/आश्रित/गैर-सदस्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्केटिंग के प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, जो समय-13. समय पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान केवल ऐसे सदस्यों को अनुमित दी जाएगी, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इस अवधि के दौरान किसी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से स्केटिंग करने वालों को स्केटिंग रिंक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 14. स्केटिंग शुल्क का भूगताने स्वागत कक्ष पर करें और रसीद प्राप्त करें। स्केटिंग रिंक में संगीत बजाने की अनमति नहीं है। तथापि, प्रतियोगिता आयोजक घोषणा करने के उद्देश्य से ध्वनि 15. विस्तार व्यवस्था (पीए सिस्टम) का प्रयोग कर सकते हैं। स्केटिंग रिंक में निजी कोचिंग की अनुमति नहीं है। 16. खाद्य पदार्थ, चाय/कॉफी, कोल्ड डिंक्स इत्यादि परिसर के बाहर से नहीं लाए जाएंगे। वे केवल परिसर कैफेटेरिया 17. से ही खरीदे जाएं। प्रतियोगिता प्रबंधन एजेंसियों को स्केटिंग रिंक बुक कराने की अनुमति नहीं है। 18. स्केटिंग रिंक में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाये रखे। 19. प्रबंधन के पास बिना किसी कारण बताए यहाँ तक कि अल्पसचना पर स्केटिंग रिंक की बिकेंग रद्द करने का 20. अधिकार है।

इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम

	-
1.	सदस्य, आश्रित सदस्य और अतिथि एवं आकस्मिक सदस्य निर्धारित शुल्क अदा करने पर बैडिमंटन कोर्ट में परिसर समय के अनुसार खेल सकते हैं।
2.	यह एक 'भुगतान करें एवं खेले' है। निर्धारित बुकिंग शुल्क 40 मिनट प्रति कोर्ट है।
3.	गैर सदस्यों को कोर्ट की बुकिंग करने से पहले आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा।
4.	कोर्ट बुकिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क का भुगतान स्वागत कक्ष, प्रशासन ब्लॉक पर किया जाए और उसकी रसीद ली जाए।
5.	सदस्यों/गैर-सदस्यों को स्टेडियम में प्रवेश करने से परिसर के ड्यूटी स्टाफ को वैद्य सदस्यता कार्ड और बुकिंग तथा अतिथि/आकस्मिक सदस्यता शुल्क रसीद दिखानी होगी।
6.	सदस्यों को स्टेडियम के स्वागत कक्ष पर रखे रजिस्टर में अपना नाम/विवरण भरने होंगे।
7.	रंगीन सोल के जूते पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8.	स्टेडियम में शान्ति बनाए रखें।
9.	निजी कोचिंग की अनुमित नहीं है। ऐसी किसी भी प्रकार की अनिधकृत कोचिंग को व्यावसायिक गतिविधि माना जाएगा और सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। गैर-सदस्यों को अनिधकृत कोचिंग कराने के लिए परिसर से विवर्जित किया जा सकता है।
10.	परिसर के ड्यूटी कर्मचारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे खिलाड़ियों की आकस्मिक जाँच कर सकते हैं और चूककर्ता को दण्ड के तौर पर दुगुना बुकिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
11.	प्रबंधन, इंडोर बैडिमन्टन स्टेडियम में अथवा परिसर के अंदर हुए किसी निजी सामान को क्षति/चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12.	स्टेडियम अथवा दर्शक गैलरी में ड्राइवर/नौकर का आना सख्त मना है।
13.	बिजली चली जाने अथवा प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारणों से या अन्य किसी स्थिति में भविष्य के खेल में समायोजन करके क्षतिपूर्ति की जाएगी।
14.	धूम्रपान/थूकना सख्त मना है।
15.	इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
16.	कूड़ा फैलाने से बचने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें।
17.	इनडोर बैडमिंटन कोर्ट में मादक पेय/शराब, खाने, चाय/कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
18.	आवश्यक बुकिंग शुल्क का भुगतान करके सदस्य खेल की तारीख से तीन दिन पहले और आकस्मिक सदस्य एक दिन पहले ही कोर्ट बुक कर सकते हैं।
19.	प्रबंधन के पास कोर्ट की बुकिंग का अधिकार है। बिना कोई कारण बताए बैडमिंटन खेलने के लिए इन्डोर बैडमिंटन स्टेडियम को बंद किया जा सकता है।
20.	खेल की अवधिः खेल की अवधि 40 मिनट अथवा एक गेम, जो भी पहले हो, वह होगी। 3 मिनट का समय वार्मिंग अप का होगा जो 40 मिनट की अवधि में शामिल होगा।
21.	स्पोर्टस गियरः खिलाड़ियों को अपना रैकेट और शटल कॉक स्वयं लानी होगी।
22.	वर्दीः शर्टस अथवा ट्रैक लोअर, टी शर्ट और गम सोल शूज सहित। रंगीन सोल वाले जूते पहनने की अनुमित नहीं है।
23.	समयः₋
	ग्रीष्मकालीन समयावधिः (1 मार्च से 30 नवम्बर तक) :
	प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक
	शीतकालीन समयावधि (1 दिसम्बर से 28 फरवरी तक) :
	प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक
24.	इनडोर बैटमिंटन कोर्ट में संगीत बजाने एवं नृत्य करने की अनुमति नहीं है।

25.	परिसर प्रबंधन की पूर्व अनुमति के बिना इनडोर बैडिमंटन स्टेडियम के आस-पास पोस्टर/बैनर लगाने की अनुमति नहीं है।
26.	टूर्नामेंट के दौरान गलियारे में केवल 50 खिलाड़ियों के बैठने की अनुमति है।
27.	इनडोर बैटमिंटन स्टेडियम में उचित मर्यादा एवं अनुशासन बनाए रखें।
28.	इनडोर बैटमिंटन स्टेडियम में किसी भी ऑडियो-वीडियो सिस्टम का प्रयोग न किया जाए।
29.	फिक्स्चर/कमेंट्री की उद्घोषणा के उद्देश्य हेतु किसी माइक का प्रयोग न किया जाए।
30.	दर्शक केवल गलियारे में बैठेंगे। उन्हें बैडिमंटन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
31.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को सुविधा बुक करने की अनुमति नहीं है। कॉपरेट/फर्म अपने नाम पर सुविधा को
	बुक करें।

<u>जिमनास्टिक</u>

.1	जिमनास्टिक का प्रशिक्षण उन बालक एवं बालिका प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा जो आयु समूह वर्ष के बीच के होंगे। 15 से 05
.2	जिमनास्टिक की कक्षाएं परिसर में अवस्थित जिमनास्टिक हॉल जो बालकों एवं बालिकाओं के लिए जिमनास्टिक उपकरणों से सुसज्ज्ति हैं, में संचालित की जाएंगी।
.3	समयावधि -:
	ग्रीष्मकाल-: मार्च से नवंबर सायं तक 07.00 सायं से 05.00
	शीत काल-: दिसंबर से फरवरी सायं तक 06.30 सायं से 04.30
.4	जिमनास्टिक हॉल के अंदर ध्यान भंग करने वाले शोर एवं गतिविधियों की अनुमति नहीं है, क्योंकि एकाग्रता महत्वपूर्ण है।
.5	योग्य एवं पूरी तरह से प्रशिक्षित कोचों की प्रत्यक्ष निगरानी के बगैर जिमनास्टिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
.6	बच्चे नए कौशलों को सीखने का प्रयास केवल प्रगति एवं प्रशिक्षक की अनुमति एवं निगरानी में ही करेंगे।
.7	बाल प्रशिक्षुओं मैटों के प्रकार, संख्या एवं लगाने के संबंध में व्यायामशाला प्रशिक्षको से परामर्श लेना होगा। स्मरण रहे केवल मैटों से सब चोटों से नहीं बचाया जा सकता है, और वे ना ही समुचित निगरानी का विकल्प हैं अथवा सुरक्षा प्रक्रियाओं से ऊपर हैं।
.8	गति एवं ऊँचाई से संबंधित किसी भी गतिविधि से संभावित चोट लग सकती है अपितु खतरे को निम्नांकित उपायों के अनुपालन से काफी कम किया जा सकता है। किसी भी समस्या एवं कठिनाई के समय सदैव अपने जिमनास्टिक से परामर्श लें।
	परिधान-:
	सभी प्रशिक्षु जिमनास्टिक से संबंधित उचित पोशाक पहनेंगे, जिसमें जूते भी शामिल हैं एवं जब भी आवश्यक हो फिसलने से बचने के लिए निम्नांकित के पालन के साथ चाक पाउडर का प्रयोग करें।
	बालिकालाइक्रा जिमनास्टिक पोशाक/नाइलॉ :, टाइट्स किसी भी रंग की टीशर्ट-
	बालकस्ट्रैचेबल वेस∕शर्ट-नाइलॉन शार्ट्स टी :्ट जिमनास्टिक पैंट्स नाइलान लाइक्रा∕
.9	जिमनास्टिक हॉल के अंदर पेय पदार्थ एवं नाश्ते का सेवन पूर्णतया वर्जित है।
.10	जिमनास्टिक हॉल के अंदर धूम्रपान वर्जित है।
.11	परिसर के अंदर नियमानुसार सख्त अनुशासन का पालन किया जाएगा। कोचअनुदेशक कदाचार के / पास अधिकार है कि वे दुर्व्यवहार करने या नियमों का अनुपालन न करने पर प्रतिभागी को अभ्यास करने से रोक सकते हैं या उन्हें निष्कासित कर सकते हैं।

तीरंदाजी

1	वर्ष की आयु से अधिक के बालक और बालिका 11प्रशिक्षणार्थियों को तीरंदाजी कोचिंग दी जाएगी।
2	सदस्य और उनके आश्रित प्रति माह निर्धारित शुल्क का भुगतान करके तीरंदाजी कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं। गैरसदस्यों को कक्षा में शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जाएगी।- बशर्तें कि कक्षा में रिक्ति है।
3	मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष पर किया जाएगा जिसके लिए प्रतिभागी द्वारा रसीद प्राप्त की जाए।

4	तीरंदाजी कक्षाएं सभी रविवार, सोमवार और अवकाश दिवसों को छोड़कर सप्ताह में दिन आयोजित 5 की जाएगी।
5	तीरंदाजी कोच द्वारा उपस्थिति मार्क की जाएगी प्रतिभागियों को कक्षा शुरू होने के मिनट पहले 10 पहुँचना होगा।
6	केवल प्रतिभागियों को ही प्रशिक्षण क्षेत्र के भीतर अनुमति दी जाएगी।
7	धूम्रपान का सख्त निषेध है।
8	नियमानुसार कक्षा में कड़ा अनुपालन किया जाएगा। कोचअनुदेशक कदाचार के पास अधिकार है कि वे / दुर्व्यवहार करने या नियमों का अनुपालन न करने पर प्रतिभागी को अभ्यास करने से रोक सकते हैं या उन्हें निष्कासित कर सकते हैं।
9	एजेंसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा /खेल किटउपकरण प्रदान किए जाएगे। /
10	गम—4.00 से 06.00 बजे होगा।
11	क्षेत्र के आसपास शराब पीना सख्त मना है।
12	आसपास संगीत बजाना मना है।
13	की प्राइवेट कोचिंग की अनुमति नहीं है।
14	खाद्ध पदार्थ , चाय कॉफी/, कोल्ड ड्रिंक आदि परिसर के बाहर से नहीं लाएं। जाएंगे। उन्हें परिसर के कैफेटेरिया के अंदर से ही खरीदा उपयोग किया जाए।/
15	जिमेंट एजेंसियों को तीरंदाजी मैदान बुक करने की अनुमित नहीं है।
16	मैदान में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें।
17	कोई कारण बताए बिना प्रबंधन को अल्प सूचना पर तीरंदाजी मैदान की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है।

डांस

1.	सदस्य और उनके आश्रित प्रति माह निर्धारित शुल्क का भुगतान करके डांस कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं। गैर- सदस्यों को कक्षा में शुल्क काभुगतान करने पर अनुमति दी जाएगी। बशर्तें कि कक्षा में रिक्ति है।
2.	मासिक प्रभारों का भुगतान स्वागत कक्ष पर किया जाएगा जिसके लिए प्रतिभागी द्वारा रसीद प्राप्त की जाए।
3.	डांस कक्षाएं सभी रविवार, सोमवार और अवकाश दिवसों को छोड़कर सप्ताह में दिन आयोजित क 5ी जाएगी।
4.	डांस कोच द्वारा उपस्थिति मार्क की जाएगी प्रतिभागियों को कक्षा शुरू होने के मिनट पहले पहुँचना होगा। 10
5.	केवल प्रतिभागियों को ही प्रशिक्षण क्षेत्र के भीतर अनुमति दी जाएगी।
6.	धूम्रपान का सख्त निषेध है।
7.	नियमानुसार कक्षा में कड़ा अनुपालन किया जाएगा। कोचअनुदेशक कदाचार के पास अधिकार है कि वे / दुर्व्यवहार करने या नियमों का अनुपालन न करने पर प्रतिभागी को अभ्यास करने से रोक सकते हैं या उन्हें निष्कासित कर सकते हैं।
8.	संगीत कार्य केवल अनुदेशक द्वारा देखा जाएगा और हर दिन की समाप्ति से संगीत उपकरण हैंडओवर किए जाएं।
9.	शाम 5.00 बजे से शाम 07.00 बजे होगा।

10.	में शराब पीना सख्त मना है।
11.	गी प्राइवेट कोचिंग की अनुमति नहीं है।
12.	खाद्ध पदार्थ, चायकॉफी/, कोल्ड ड्रिंक आदि परिसर के बाहर से नहीं लाएं। जाएंगे। उन्हें परिसर के कैफेटेरिया के अंदर से ही खरीदा जाए।
13.	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को तीरंदाजी मैदान बुक करने की अनुमति नहीं है।
14.	डासं हॉल में उचित अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें।
15.	कोई कारण बताए बिना प्रबंधन को अल्प सूचना पर तीरंदाजी मैदान की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है।

<u>एथलेटिक्स</u>

	Ţ
.1	सदस्य और उनके आश्रित प्रति माह निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एथलेटिक्स की कोचिंग में भाग ले सकते हैं। गैरबशर्ते कक्षा में जगह खाली हो। ,सदस्यों के शुल्क के भगुतान पर अनुमति दी जा सकती है-
.2	समयः बजे तक और 9 बजे से प्रातः 7.00 प्रातः -
	शाम बजे तक 6.00 बजे से शाम 4.00
.3	ड्रेसःशर्ट और शॉर्ट्स-टी ,शर्ट -/ट्रैक लोअर एवं स्पोर्ट्स शूज़। महिलाएँ "सलवार कमीज" अथवा शर्ट और स्कर्ट पहन सकती हैं।
.4	उपकरणव्यक्ति द्वारा लाए जाएंगे। ,यदि कोई हो तो ,
.5	धूमप्रान निषेध है।
.6	खेल हेतु सदस्यता कार्ड/पावती परिसर के अधिकारियों को द्वारा माँगे जाने पर दिखाना पड़ेगा।
.7	अभ्यास के दौरान अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। परिसर के नियमों/उपनियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सुविधा का उपयोग करने से वंचित किया जा सकता है।
.8	ग्राउंड के अंदर और उसके आसपास मदिरापान करना सख्त मना है।–
.9	निजी एथलेटिक्स की कोचिंग लेने की अनुमति नहीं है।
.10	परिसर के बाहर से खाद्य सामग्रीचाय ,/कॉफीकोल्ड ड्रिंक लाना मना है। उन्हें परिसर के कैफ़ेटेरिया के , अंदर खाना होगा।
.11	एथलेटिक्स ट्रैक पर उचित अनुशासन और मर्यादा बनाए रखें।

शतरंज (चेस(

.1	सदस्य और उन पर आश्रित व्यक्ति प्रत्येक माह के निर्धारित शुल्क का भुगतान कर शतरंज की कक्षाओं में भाग ले सकते हैं।
.2	रिसेप्शन पर मासिक शुल्क का भुगतान किया जाए और प्रतिभागी द्वारा वहां से इसकी रसीद प्राप्त की जाए।
.3	सभी सोमवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर हफ्ते में दिन शतरंज की कक्षाएं संचालित की 03 जाएंगी।
.4	प्रशिक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। प्रतिभागियों को कक्षा आरंभ होने से मिनट पूर्व कक्षा में 10 पहुँचना होगा।
.5	शतरंज की कक्षाओं में केवल भागियों को आने की अनुमति है।
.6	धुम्रपान पूर्णतः वर्जित है।
.7	नियमों के अनुसार कक्षा में सख्त अनुशासन में रहना होगा। कोच/प्रशिक्षक को गलत व्यवहार अथवा नियमों का पालन ना किए जाने पर अभ्यास बन्द करने अथवा प्रतिभागी को निष्कासित किए जाने का अधिकार है।
.8	शतरंज हॉल में मदिरा पान करना पूर्णरूप से वर्जित है।
.9	शतरंज हॉल में संगीत बजाने की अनुमति नहीं है।
.10	निजी शतरंज कोचिंग की अनुमति नहीं है।
.11	परिसर के बाहर से खाद्य पदार्थचाय ,/कॉफी कोल्ड ड्रिंक आदि लाने की अनुमति नहीं होगी। ये ,वस्तुएं परिसर कैफेटेरिया से ही खरीदी जाएं।
.12	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को शतरंज हॉल बुक करने की अनुमति नहीं है।
.13	शतरंज हॉल में उचित अनुशासन और मर्यादा में रहें।
.14	प्रबंधन के पास अधिकार है कि वे अल्प सूचना पर बिना कोई कारण बताए शतरंज हॉल की बुकिंग को रद्द कर सकते हैं।
.15	समयःबजे तक। 8.00 बजे से शाम 5.00 शाम -

उपनियमों का सारांश

		<u>841</u>	नेयमी का सा	<u>राश</u>	
क्रं.	खेल	समय	दिन	पोशाक	टिप्पणी
सं.					
1.	टेनिस	क्ले कोर्ट शीतकालीनः प्रातः 6.30 से प्रातः 11.00 बजे तक दोपहरः 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दोपहरः 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सिंथेटिक कोर्ट शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	खेलते समय टी शर्ट, शॉर्ट्स (महिलाओं हेतु स्कर्ट/शॉर्ट्स और लेगिंग) और नॉन मार्किंग टेनिस के जूते पहने जाने चाहिए। ट्रैक सूट पहनने की अनुमति केवल सर्दियों में है।	है। सिंथेटिंक कॉर्ट हेतु निर्धारित शुल्क देना होगा।
2.	टेबल टेनिस	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक		शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर। खेलते समय टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने की अनुमति है।	शांति बनाए रखें। खेल के उपरान्त लाइटों को बंद करें। दीवार के सहारे खड़े होने की अनुमति नहीं है।
3.	बैडमिंटन	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स/ट्रैक लोअर। खेलते समय टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज	सदस्यों हेतु कोर्ट सं.1 और 2, आश्रितों हेतु कोर्ट सं. 3 है।
4.	स्काश	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	छोड़कर सभी कार्य दिवस	शर्ट, नॉन मार्किंग स्क्वाश शूज (वार्म अप हेतु ट्रैक सूट/केवल सर्दियों में)	
5.	बिलियर्ड/स्रूकर	शीतकालीनः प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 8.30	सोमवार को छोड़कर सभी	उपयुक्त पिरधान/स्पोर्ट्स	निर्धारित शुल्क गर्मियों में सुबह 11.00 बजे से

		बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00	कार्य दिवस	ड्रेस	रात्रि 9.00 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10.30 से रात्रि 08.30 बजे तक।
6.	ताइक्वांडो	बजे तक शीतकालीनः शाम 5.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः शाम	मंगलवार से रविवार तक	निर्धारित यूनिफार्म	निर्धारित शुल्क। अपनी यूनिफार्म लेकर आए। प्रतिभागी आरंभ होने से 10 मिनट पहले रिपोर्ट करें।
7.	बास्केट	6.00 बजे से शाम 7.30 बजे तक शीतकालीनः प्रातः 6.30	सोमवार को	शॉर्ट्स, शर्ट/टी-	
7.	बॉल	बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	छोड़कर सभी कार्य दिवस	शर्ट और स्पोर्ट्स शूज (वार्म अप हेतु ट्रैक सूट/केवल सर्दियों में)	बजे से रात्रि 8.00 बजे (ग्रीष्मकालीन) शाम 5.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक (शीतकालीन)
8.	हॉकी/फुटबॉल	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	शॉर्ट्स, शर्ट/टी- शर्ट और स्पोर्ट्स शूज (वार्म अप हेतु ट्रैक सूट/केवल सर्दियों में)	बजे से दोपहर 3.00 बजे तक
09.	एरोबिक्स	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक शाम 4.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक। शाम 4 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	मंगलवार से शनिवार	प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित वस्त्र	J
10.	योग	यथा अधिसूचित	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ढीले वस्त्र	निर्धारित शुल्क
11.	क्रिकेट	प्रातः 9.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	क्रिकेट पैंट और टी-शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।
12.	क्रिकेट प्रैक्टिस नेट	प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	क्रिकेट पैंट और टी-शर्ट	हार्ड पिच सदस्यों हेतु आरक्षित है। टर्फ पिच निर्धारित शुल्क पर बुकिंग के लिए है।
13.	तैराकी	प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक शाम 3.00 बजे से रात 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	तैराकी पोशाक	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
14.	फिटनेस केन्द्र	शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ट्रैक सूट/टाइट्स, शॉर्टस और टी- शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर

15.	स्केटिंग	दोपहर 3.00 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक। दोपहर 3 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रातः 7.00 बजे से प्रातः9.00 बजे तक शाम 5.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक नौसिखियाः शाम 5.00 बजे से शाम 7.00 बजे	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस	ट्रैक सूट, शॉर्टस और टी-शर्ट	निर्धारित शुल्क के भुगतान पर
16.	इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम	तक शीतकालीनः प्रातः 6.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक ग्रीष्मकालीनः प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	सोमवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस		प्रबंधन हेतु कोर्ट सं. 1 आरक्षित है।

महत्वपूर्ण उपविधियों और खेल परिसरों में खेलों की सूची का सारांश

1.	अतिथियों एवं आकस्मिक सदस्यों हेतु निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किया जाना है।
2.	सदस्यों को शालीनता बनायी रखनी चाहिए और पोशाक संबंधी विनियमों का पालन करना चाहिए।
3.	सदस्यों को प्रत्येक खेल सुविधा में रखे गये रजिस्टर में अपना नाम, सदस्यता संख्या एवं आने के समय की प्रविष्टि करनी होगी।
4.	कार्ड/अंशदान भुगतान की रसीद परिसर के कर्मचारियों के अनुरोध पर दिखाई जाए।
5.	खिलाड़ियों को अपना खेल का सामान, जैसे- रैकेट, बॉल, बैट, शटल-कॉक, आदि लाना चाहिए।
6.	समय में परिवर्तन किया जा सकता है। इस बारे में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
7.	कूड़ा-करकट कही न फैलाएँ। कूड़ेदान का प्रयोग करें।
8.	खेलने के स्थान पर शान्ति बनाए रखें।
9.	कोर्ट/खेलने के स्थान पर धूम्रपान और शराब/मादक पेय का सेवन करना सख्त मना है।
10.	सभी से अनुरोध है कि वे परिसर के कर्मचारियों के प्रति शालीन व्यवहार करें।
11.	प्रत्येक खेल सुविधा स्थल पर विस्तृत उप-विधियां उपलब्ध है।
12.	सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिसर की उप विधियों का पालन करेँ।
13.	रख रखाव/सफाई आदि के कारण प्रशासन को सुविधा बन्द रखने का अधिकार है। इस संबंध में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सदस्यों को एस.एम.एस. /ई-मेल द्वारा सूचना दी जाएगी।
14.	शिकायत/सुझाव पुस्तिका स्वागत कक्ष पर उपलब्ध है।
15.	प्रबंधन बोर्ड के पास उपविधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार है।
16.	किसी भी सुविधा के लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान परिसर के प्राधिकृत कर्मचारी को ही करना चाहिए और रसीद ले लेनी चाहिए। प्रशिक्षक प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। परिसर के कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करने की स्थिति में परिसर उत्तरदायी नहीं होगा।
17.	विद्युत आपूर्ति के फेल होने, खराब मौसम, बारिश अथवा प्रबंधन के नियंत्रण के बाहर किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में भविष्य में खेल न पाने पर शुल्क वापिस दिया जाएगा अथवा समायोजित किया जाएगा।

RULES, REGULATIONS AND BYE-LAWS OF SPORTS COMPLEXES

RULES AND REGULATIONS

1. Introduction Yamuna Sports Complex has been set up by the Delhi Development Authority for the development and growth of sports in Delhi. The name of the body will be Delhi Development Authority, YamunaSports Complex. It has facilities for Tennis, Basketball, Badminton, Table Tennis, Billiards, Snooker, Cricket, Football, Hockey, Aerobics, Yoga, Taekwondo, Fitness Centre (multigym), Swimming, Jogging, Skating, Squash, Athletics, Archery, Chess, Fencing, Dance, Gymnastics, Volleyball Childrens' Park, etc. The land over which the YamunaSports Complex (YSC) has been built is the property of DDA. The sports complex, including all facilities built thereon, is wholly owned and controlled by the DDA. There are no statutory provisions, rules, regulations, bye-laws, etc., entitling participation in the management and affairs 1.1 of the YSC by any person, institution, agency, etc., other than DDA and no person with membership of YSC shall have any kind of rights on the property, management and affairs of the YSC. The control and management of the sports complex will always be with the DDA as set out herein. 2. **Objectives** The objectives of the DDA Yamuna Sports Complex (hereinafter called the Sports Complex) are: a) To provide recreational and healthy environment to the citizens of Delhi keeping in view the requirement of Master Plan. b) To induce sports activities and spirit of mutual help and goodwill among citizens of Delhi in general and members of the sports complex in particular. To promote various sports, e.g., Tennis, Squash, Table Tennis, Billiards, Badminton, Taekwondo, Archery, Aerobics, Swimming, etc. 3. **General Objectives** a) To work under the overall control, supervision and directions of the Sports Management Board of DDA under the Chairmanship of Hon'ble Lt. Governor of Delhi/Chairman, DDA for development of sports facilities and promotion of sports in Delhi. b) To purchase, hire, provide and maintain all kinds of apparatus, material, furniture, implements and other requirements required for running the sports complex. c) To hire, engage and employ coaches, markers, instructors, groundsmen and other staff required for day to day running of the complex. d) To do all other lawful things as are incidental or conducive for the attainment of the above objectives. e) The Sports Management Board of DDA shall have the power to make, alter and repeal all such rules/ bye-laws as deemed necessary for the proper conduct and management of the sports complex. 4. Membership Various categories of membership are given below and are defined in succeeding paragraphs. Membership in respect of all the categories will be approved by or on behalf of the Management Board. Membership, however, only provides playing rights in the Sports Complex. (a) Individual Membership: Indian (government/non-government)/ Foreign Citizens. (b) Dependant Membership (c) Associate Membership (d) Senior Citizens Membership (e) Corporate Membership: Indian/ Foreign Companies (f) Non-Resident Indian (NRI) Membership (g) Temporary Membership

(h) Special Temporary Membership (i) Honorary Membership (j) Special Honorary Membership (k) Guest Membership (I) Daily Casual Membership (Pay & Play) (m) Student Membership for school students (upto class 12) Daily/Monthly 5. **Individual Membership** Any individual above 21 years of age shall be eligible for becoming a regular member. The membership once granted shall not be transferred. Individual member can nominate his/her spouse and children (between age of 5 years to 21 years) as dependant. It is necessary to nominate dependants at the time of applying for individual membership. The monthly subscription in respect of dependant members as prescribed from time to time shall be effective from the date of approval of individual membership. The total monthly subscription shall thus be calculated as per the family details given by the member. The Management Board, however, reserves the right to refuse or accept the membership of dependants. 6. **Dependant Membership** 6.1 Spouse and legal children (between the age of 5 years to 21 years) are eligible to become dependant members. Dependants, however, have to be nominated by the member and their details should be disclosed in the application form at the time of applying for any category of membership. Any member who gets married after obtaining the membership of the Sports Complex may get his/ her 6.2 spouse included as dependant from the date of marriage. Similarly, children on attaining the age of 5 years are permitted as dependants. The onus of including the name of dependants, and payment of their subscription lies with the member. The monthly subscription in such cases shall be effective from the month of their getting married or children attaining the age of 5 years. Unless payment of subscription for dependants is made from the date of approval of individual membership, dependants will not be issued the membership card. 6.3 Dependent children will cease to be dependant member on attaining the age of 21 years. They must surrender their membership card. 6.4 The individual member intending to enrol his/her dependants as members at a later stage shall have to pay the monthly subscription as applicable with retrospective effect, i.e., from the date of approval of his/her 6.5 membership. Dependant cards will be issued for a period of 5 years at a time and new cards will be changed every 5 years with latest photographs. 6.6 7. **Associate Membership** On attaining the age of 21 years, the dependent children of a member who have used the complex for a minimum period of one year may apply for Associate membership if he/ she wishes to continue the use of the complex. Depending upon the availability of vacancies, the Sports Management Board may grant Associate Membership subject to following conditions: -(a) Option to become Associate member must be exercised within one year of attaining the age of 21 years. (b) Payment of a non-refundable entrance fee equivalent to 50% of prevalent entry fee. The monthly subscription for Associate members will be same as for the individual members. 7.1 Associate members are not permitted to add dependants and to bring guests. 7.2 8. **Senior Citizens Membership** Senior Citizens Membership is meant only for those who have attained the age of 60 years. This will be against proof of age. Apart from spouse, the children of Senior citizen members below 21 years of age can become dependent members on payment of normal monthly subscription. However, after the dependant attains 21 years of age he/she will not be considered for Associate Membership.

9. Corporate Membership Public sector and private commercial firms are eligible for Corporate membership subject to approval and payment of prescribed entry fee. One nominee will be allowed to use the facilities on monthly subscription as prescribed from time to time. The sponsoring firm may get the name of nominee changed by giving prior intimation and taking approval before change of nominee is effected. The cards of the previous nominee will be surrendered. Corporates with an annual turnover of Rs. 25 crores for public/private sector companies of manufacturing 9.1 industries and Rs. 5 crores for consultancy services can apply for Corporate membership. In addition, PSUs, government organizations and listed companies are also eligible to apply for Corporate membership. 10. **NRI Membership** NRIs are eligible to obtain individual membership subject to payment of prescribed entry fee. The entry fee is in Rupee equivalent of the prescribed entry fee. The amount should be paid by draft in Rupees from nonresident account of the NRI through a scheduled bank along with a certificate from the bank certifying that the amount has been debited from NRI account of the individual. 11. **Temporary Membership** Temporary membership is for a period of 3 months on one time non-refundable payment of fee as prescribed. It is family membership. Spouse and children constitute the family. Dependants (spouse and children) pay the prescribed fee for the dependant membership. Payment should be made through online mode by credit or debit card/ NEFT/RTGS/Net banking. Temporary members are not allowed to bring Guests. Temporary membership is given to eligible applicants, if the number of applicants is within the prescribed 11.1 ceiling limit of temporary membership to be granted. If the number of applicants is more than the ceiling limit, then temporary membership will be granted through computerized draw of lots. Applicant would be required to submit application form online alongwith scanned copy of photographs of self and dependants alongwith scanned copy of self certified birth certificates for dependant legal children 11.2 between the age of 5 to 21 years. The dependant children of permanent members of the sports complexes may use the facilities of sports complex as a temporary member, in case they do not wish to avail dependent membership, for which they 11.3 may be given priority over other applicants for temporary membership. The present system of granting temporary membership only to persons above 21 years of age may be relaxed. In case of minor, consent of parent may be mandated for grant of temporary membership. 11.4 12. **Special Temporary Membership** Only Central Govt. officials residing within a radius of 2 kms. from the complex are eligible for this type of membership, subject to approval by the Management Board and on payment of the prescribed charges as one timenon-refundable fee for one year for the applicant, spouse and children (children below 21 years). Officials working in Banks, Public Sectors and Autonomous bodies are not eligible for this type of membership. 13. **Honorary Membership** Past and present Chairmen, Vice-Chairmen, Finance Members and Engineer Members of DDA will be the Honorary Members. 14. **Special Honorary Membership** This is offered to Arjuna Awardees or to exceptional National/ International players residing in Delhi as per the rules framed by the Sports Management Board. Special Honorary member will be exempted from paying the entry fee but will be charged normal monthly subscription as per prescribed rates. 15. **Guest Membership** All those having permanent membership may bring a maximum of four guests at one time, subject to

payment of the requisite charges.

15.1

The member will be responsible for the conduct of his/her Guest.

15.2	Management/ duty in-charge has right to refuse any guest during peak hours, i.e., 6.00 to 8.00 AM and 6.00 to 8.00 PM (in summer) and 6.30 to 8.30 AM and 6.30 to 8.30 PM (in winter) for any facility.	
15.3	Dependant/Associate members are not allowed to bring guests.	
16.	Casual Membership (Pay & Play)	
	Casual membership (valid for the day) may be allowed by the Complex in-charge subject to payment of the prescribed charges. This category of membership will be allowed subject of availability of sports facilities.	
16.1	Membership for school children	
	Daily/monthly membership for school children (upto Class 12) for utilization of facilities at the complex would be available on payment of the prescribed fees.	
17.	Membership of widows/ widowers	
	In the case of widow/ widower of a deceased individual member who applies to be admitted as an individual member, she/he may be made a member with the approval of Commissioner (Sports)/Director (Sports) provided the widow/widower had dependent membership before the demise of the person with individual membership. However, previous outstanding dues will be settled before membership is transferred.	
18.	Membership Card	
18.1	Each member and dependant member will be permitted to use the facilities only on production of membership card. Separate membership cards for members and dependants are required to be made on payment as prescribed from time to time.	
18.2	It is the responsibility of the member to apply for preparation of membership card and to collect it after the due date.	
18.3	Not applying or collecting the cards will not be an excuse for not paying monthly subscription/ using the facilities without having the membership card.	
18.4	If a card is lost, the member has to apply for duplicate card along with copy of Police Report. In case of loss of card by dependant, a request is required from the member for duplicate card.	
	Loss of card will invite penalty of the prescribed charges for making duplicate.	
19.5 19.6	Validity of dependant card for children is 5 years or the date of attaining the age of 21 years, whichever is earlier. On completion of 5 years from the date of issue of the card, the member should apply online for fresh card for dependant.	
19.	Entrance Fee & Subscription Fee for Membership	
19.1	The schedule of charges with regard to entry fees and monthly subscription is displayed on the notice board and reception of the sports complex and posted on DDA's website www.dda.org.in .	
19.2	The charges are subject to revision from time to time.	
19.3	Entry fee for membership is non-refundable.	
19.4	Employees of Central Government, State Government and Local Bodies like Municipal Corporations, New Delhi Municipal Council and Delhi Jal Board and those individuals whose pay and allowances are drawn from the Consolidated Fund of India/State would be considered in Government category.	
19.5	GST as applicable will be charged extra on all payments.	
20.	Payment of Subscription	
20.1	a) Bills will be issued every quarter. Dues as per the rate of subscription may be sent by cheque to the	
	sports complex(between 10.00 a.m. to 3.00 p.m. except lunch break from 1.00 p.m. to 1.30 p.m. on all working days). Subscription can also be paid by credit/debit card/RTGS/NEFT/net banking.	
	b) Subscription may be paid in advance for a quarter, six months or full year.	
	c) Non payment of bills for more than one year will lead to termination of membership. Surcharge of Rs. 500/- will be levied for delayed payments.	
	d) The Management will not be responsible for non-receipt of letters/bills by the individuals for incorrect address or postal delays. Individuals are requested to ensure that subscription is paid	

	regularly to avoid termination of membership. Permanent members will be informed of their outstanding dues through SMS/email.
	e) Notices will be sent to defaulters at the address mentioned in the application form giving them final opportunity to make outstanding payments within fifteen days of receipt of notice, in default of which membership would be terminated. Notices would also be sent by email and intimation through SMS.
	f) Individuals with membership are advised to update their profiles with the sports complex management in case of any change in mailing address, email, phone numbers, etc. These details can also be updated online.
	g) All individuals are advised to obtain receipts for amount paid for utilization of any facility at the sports complex.
	Members may also drop the cheque of monthly subscription even during odd hours in the Cheque Box placed in the Administrative Block with the following information on the back of the cheque: -
	1) Name of Member
20.2	2) Membership Number
	3) Number of Dependants
	4) Period of Payment
	5) Email Address
	6) Mobile Number
	The cheque must be crossed A/c payee only, drawn in favour of "CAU (Sports), DDA". Outstation cheques will not be accepted.
	Receipt of such cheques will be available at the Reception.
	Cheques may also be sent by post or through courier. The receipts of such cheques will also be available at the Reception.
20.3	
20.4	
21.	Exemption for Subscription
21.1	Honorary Members and their dependants shall not be liable to pay any entry fees or monthly subscription or any other utilization charge.
21.2	DDA officials who are working in the Sports Complex in various capacities are exempted from paying subscription including for their dependants as long as they are working in the Sports Complex.
21.3	DDA Engineers, Architects, etc., who are associated with the development of sports complexes would also not be charged monthly subscription till such time they are associated with the sports complexes. However, monthly subscription for their dependants would be payable at normal rate. Such cases will be processed and approved individually by Commissioner (Sports) on receipt of written request from the members.
22.	Termination of Membership
	Membership can be terminated for any of the following reasons:-
	(a) On the Member's request.
	(b) For non-payment of dues for a period of 1 year or more. The Management Board will not be responsible for non-receipt of letters by the individuals for incorrect addresses or postal delays. Individuals are requested to ensure that subscription is paid regularly to avoid termination of membership.
	(c) Misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the sports complex or infringement of the Rules, Regulations and Bye-laws of the sports complex or if any member is adjudicated as bankrupt or insolvent. Individuals whose membership is terminated for this reason would not be permitted to utilize facilities at any other DDA sports complex/golf course and would be debarred from entry to these facilities. If the individual has the membership at any
	47

other DDA sports complex/golf course, this would also be automatically terminated. Request of restoration of membership would not be entertained if membership has been terminated due to this reason. Individuals whose membership has been terminated or those who have been disqualified/debarred from use of complex facilities for this reason would not be eligible for grant of any type of membership, including temporary and casual (pay and play) membership, in future at any DDA sports complex and golf course.

- (d) If being a subject of a foreign State where war has been declared between India and the state for which he/she is a subject.
- (e) If any member is convicted for any offence considered as misconduct or moral turpitude by the Management Board.
- (f) If in the judgement of the Chairman/ Vice Chairman, DDA the continuance of the membership is prejudicial to the interest of the Sports Complex.
- (g) The members are not allowed to form any Forum or Association or any Trade Union activities within the DDA sports complexes, failing which, such members will be liable to be expelled from membership and their membership will be terminated. In this behalf, the decision of the Sports Management Board or Vice-Chairman, DDA shall be final and binding.
- (h) Names of individuals whose membership are terminated shall be posted on the notice board of the sports complex.
- (i) For not regularly using the facility at the sports complex.
- (j) No refund of entry fees will be made on termination of membership.
- (k) Any advance paid towards subscription will be refunded after adjusting all dues.

23. Non-Payments of Dues

- a) Non payment of bills for more than one year will lead to termination of membership. Surcharge of Rs. 500/- will be levied for delayed payments.
- b) The Management will not be responsible for non-receipt of letters/bills by the individuals for incorrect address or postal delays. Individuals are requested to ensure that subscription is paid regularly to avoid termination of membership.
- c) Notices will be sent to defaulters at the address mentioned in the application form giving them final opportunity to make outstanding payments within fifteen days of receipt of notice, in default of which membership would be terminated.
- d) Individuals with membership are advised to update their profiles with the sports complex management in case of any change in mailing address, email, phone numbers, etc.

24. Restoration of Cancelled Membership

Restoration of membership is normally not permitted except in exceptional cases, if applied within a period of two years subject to the satisfaction of Commissioner (Sports)/Director (Sports) and on payment of $1/3^{rd}$ of the current membership entry fee along with upto date payment of arrears, including the period for which membership remained under cancellation.

Restoration charges will be based on the status of membership category on the date from which membership stood cancelled, i.e., if the member defaults after becoming Senior Citizen, only then the restoration charges will be based on entry fee/monthly subscription as applicable to Senior Citizens.

The following rules will be applicable for restoration of membership: -

- (a) In sports complexes where membership is open, membership of defaulting members will be restored on payment of prescribed restoration charges and recovery of outstanding dues.
- (b) In sports complexes where membership is closed, no restoration of membership of defaulting members will be done beyond the period of 2 years after the date of cancellation of membership.

24.1	 Request for restoration of membership will not be entertained where membership was cancelled: a) On the member's request. b) For misconduct or any act considered prejudicial to the good name and smooth functioning of the complex or infringement of rules, regulations and bye-laws of the sports complex. c) If any member is proceeded against for any offence considered as misconduct or moral turpitude by
24.2	the Management Board. Proof of out of station/residence submitted for restoration of membership will not be entertained for absentee membership of period (affected period) for which membership remained under cancellation.
24.2 25.	Dishonoured Cheques
23.	Members whose cheques deposited with the complex, are dishonoured either due to "Refer to Drawer", "funds not catered" or "stoppage of payment" or for any other reason will be required immediately to pay their dues through credit/ debit cards/ NEFT/RTGS/net banking along with a penalty of Rs.200/- plus GST. In the event of payment not being made within the specified period as given in the rules, the membership is liable to be terminated.
26.	Notices to Members In all cases where it is necessary to give notice to members under any of the rules, it shall be sufficient that such notice be sent or posted to their last known address/email, save as otherwise provided. An SMS would also be sent on the registered mobile number of the member intimating that a notice has been sent by post/email.
27.	Infraction of Rules & Bye-Laws
	The Management Board is empowered to suspend/ terminate the membership of any member for infraction of rules and bye-laws and can disqualify him/her for the use of complex facilities.
28.	Conduct of Members In case the conduct of a member or dependant, in the opinion of the Secretary of the Complex is injurious to the character and interest of the complex, his/her membership shall be suspended/ terminated.
29.	Absentee/Outstation Membership
29.1	Members who may be remaining temporarily out of Delhi/Country for a minimum period of three months at a time may apply for absentee (Outstation) membership. This will commence only from the date of their departure and subject to the receipt of written communication along with documentary proof in the form of office order, transfer certificate, passport/ visa, etc. Absentee (outstation) membership will be approved on the surrender of cards which can be reclaimed on return by the member.
29.2	Dependants will also be treated as outstation absentee members along with the member. Dependants, however, can be granted permission for being outstation absentee members separately if they are staying outside for studies, etc., subject to providing proof and surrendering of cards.
	Not using the complex for any reason is no excuse for claiming absentee (outstation) membership.
29.3	Satellite towns like Noida, Faridabad, Gurugram, Ghaziabad, Bahadurgarh are treated as being within Delhi.
29.4 29.5	Monthly subscription for absentee membership is displayed on the notice board and reception of the sports complex, posted on DDA's website www.dda.org.in and also intimated by SMS and Email of the absentee member.
29.6 29.7	Absentee/outstation membership will be granted for a maximum period of five years to any member, whether it is availed in one continuous period or in more than one broken period cumulatively. Absentee (outstation) membership will not be granted ex-post-facto. It will commence from the date of receipt of written request and completion of usual formalities.
30.	Use of Complex by Govt./ Recognized Schools/ Colleges/ Institutions.
	Permission to Schools/ Colleges/Institutions to use the facilities of the complex can be granted on batch booking basis for a period of one month. This is applicable to games like Basketball, Football, Hockey, Table-Tennis, Badminton, Squash, etc., on payment of charges as fixed from time to time for each sports discipline

ľ

	per hour per month. This permission will be granted subject to availability of grounds/ courts/ tables.
31.	Copies of Rules & Bye-Laws
31.1	A copy of the rules and bye-laws of the sports complex is displayed on the notice board of the complex and also posted on DDA's website www.dda.org.in . Printed copy of the rules and bye-laws shall also be furnished to the members on payment of prescribed charges. A soft copy of the rules and bye-laws would be sent by email to all the members and an SMS would be sent intimating that the same has been sent by email.
31.2	Any person who has taken up membership of the complex is bound by the rules, regulations and bye-laws of the complex.
32.	Utilization of Sports Facilities by Students who are not members.
32.1	Monthly passes would be issued to school children for utilization of facilities of the sports complex from 8.00 a.m. to 7.00 p.m. daily at the prescribed rates. School children can also utilize facilities for which user charges are to be paid at 50% of rates payable by members.
33.	Coaching
	Coaching in certain disciplines is available at the complex. The complex engages the services of qualified coaches. Details of coaching classes and fees can be obtained from the office of the sports complex.
33.1	Apart from the complex coaches, no other private coaching is allowed at the complex by members, guests/any other person. Complex authority will not be responsible for cheating or any misconduct by such person. Complex Authority has full right to debar such member/person from the complex and disciplinary action will be initiated against such member/person.
33.2	If somebody is found indulging in unauthorised private coaching, the complex authority has full right to debar such member/person from the complex and disciplinary action will be initiated against such member/person.
33.3	Conducting of coaching activity in a group by members/ any other person is not allowed at the sports complex.
	Late fee as applicable per day with a maximum charge of 50% of the monthly coaching charges is payable.
33.4	
34.	Timings
	The timings of opening and closing of sports complex and of any facility provided therein will be as per order of the Management Board. Normally, timings will be 6.00 a.m. to 9.00 p.m. in summer. In winter, the sports complex will open at 6.30 a.m. and members can use the facilities upto 8.30 p.m. Mondays will be observed as closed day for sports facilities. The Management Board may set apart specific timings/ days for use of facilities for coaching and training.
35.	Compensation Against Any Loss/ Injury/ Damages
	Members, their dependants/ guests and other persons are required to take all precaution so that no loss, injury or damage is caused to any person. The DDA and/or the Management of the Sports Complex shall not be responsible for any injury, loss or damage sustained or caused to any member, his/her dependants, any other person brought to the complex or passing through the sports complex or using any facilities of the sports complex. The DDA and the Management shall not be responsible for any person on any account, including the negligence or otherwise of other members or persons of the complex or using the Complex and the DDA and its Management shall be kept indemnified and shall always be kept indemnified by the members and other persons.
36.	Refund of Non-Utilization of Sports Facility
	Refund will be made through NEFT/RTGS or adjusted against future play in the event of failure of power, bad weather, rain or for any other reason beyond the control of the Management.
	<u>Note</u>
	1. It shall be the responsibility of the applicant to enquire about approval of his/her membership within 30 days from the date of submission of application form, if approval/ non-approval of membership is
	50

2.	not received. Non-receipt of such a letter shall not tantamount to any claim of the member. Bills for monthly subscription will be sent every quarter by email. SMS will also be sent to the members intimating that subscription bill has been sent through email. Members will be required to clear the dues on or before the due date for payment. Surcharge of Rs. 500/- would be charged for delayed payment.
3.	It is mandatory to show the membership card/ receipt to the Security Personnel/ Games Attendant posted at reception/ gate before entering into the facility area. Membership card can be checked at any time anywhere by complex officials/ officers.

	COMPLEX BYE-LAWS	
1	Definition	
	The term 'Member' as used in these 'bye-laws', includes Individual, Corporate, Temporary, Special Temporary, Casual, Honorary, Special Honorary, Associate, NRI, Senior Citizen, and student members.	
2	Working Days & Timings	
	The complex will remain open on all days of the week, except Monday which will be observed as closed day for sports facilities and on days specified by the Management from time to time, on three National holidays (i.e., 26 th Jan., 15 th August and 2 nd October) and on Deepawali, Holi and 2 nd half of Dussehra day (after 2 p.m.)). The complex will normally remain open from 6.30 a.m. to 8.30 p.m. in winter, i.e., 1 st Dec. to 28 th Feb. and from 6.00 a.m. to 9.00 p.m. in summer, i.e., 1 st March to 30 th Nov.	
3	Detailed timings for various sports/ activities would be approved by the Management Board. These will be notified from time to time.	
4	The Administrative/Accounts office of the complex will remain closed on every Sunday, 2 nd Saturday and all Gazetted holidays. Payments will be accepted by Accounts office between 10.00 a.m. to 3.00 p.m. except lunch break from 1.00 p.m. to 1.30 p.m	
5	The Management Board may prescribe specified days on which guests are not allowed and also set apart specific timings/ days for use of facilities by sports persons for coaching and training.	
6	Complex Staff	
	Members, their guests and dependants shall not abuse any complex staff or use violence of any kind whatsoever against any staff of the complex. In the event of the member having any occasion to find fault with staff of the complex, a report of the case should be made in writing to the Secretary on the same/next working day and it should be entered in the Complaint Book. The Secretary may either deal with the case or refer it to the Management Board as may be found necessary.	
7	The complex staff will not be sent on any errand or personal work or otherwise withdrawn from his place of work by any member/dependant or guest.	
8	Tipping to staff	
	No member shall give any money by way of tips to any complex staff. The staff/complex employee is prohibited to solicit or accept gratuities.	
9	Supply of Plants, Seedlings and Saplings	
	Sale of plants, seedlings and saplings is not permitted. Members will not ask gardeners or any staff member for the same. Gardeners are forbidden to supply plants, flowers, etc., to members.	
10	Selling of items/ materials	
	Selling of any material of any kind other than by the authorized shop in the complex premises is strictly prohibited. Disciplinary action will be initiated against such person.	
11	Damage or breakage	
	Full value will be charged for all breakages of complex properties from members, their guests, dependants or their servants, if the breakage was caused by them while utilizing the facilities. However, if in the opinion of the Management, the breakages are willful, the members may be required to pay upto six times the value of the damaged property. Besides, in such cases, the Management can suspend/ terminate membership of members for causing willful damage to complex property. If non-members indulge in such activities, apart from paying for the damage caused, they would be debarred from entry to the sports complex.	
12	Suggestions and Complaints	
	Suggestions/complaints, if any, should be entered in the suggestion/complaint book kept for this purpose and can be obtained by any member from the Reception. The suggestion/ complaint will be looked into by the Secretary and disposed off accordingly. Complaints can also be registered online through mobile app "Smartcity311". Spouse and dependant children are, however, not permitted to enter any suggestion or complaint in the suggestion/ complaint book. This may be done by the members themselves.	
1	52	

13	Articles of the Complex
	Properties of the complex such as furniture, crockery or any other equipment will not be issued/ lent to any member or to any organization outside the complex premises.
14	Pets
	Dogs/ pets are not allowed in any part of the complex. For each violation of this bye-law the owner of the dog/pet will be charged the prescribed fine.
15	Cycles/Scooters
.	Cycling, riding scooter and motor cycles on the lawns/ courts/ jogging track of the complex is not permitted.
15.1	Use of perambulators on the jogging track is strictly prohibited.
16	Notices
	Any printed circular/material for the notice board of the complex must be sent to the complex Secretary for approval. Members are not permitted to place any notice. Notices will normally be displayed for a week only.
17	Payment
	No cash payment is acceptable. All payments will be made online or by other means specified above except cash payment.
18	Parking of Vehicles
	Members will park cars/cycles/scooters/ motorcycles, etc., only in the designated surface parking bays. No parking outside the designated parking bays is permitted.
19	Members/ dependants shall be liable to pay the penal charges as prescribed in case of parking in the "No parking area".
20	The sports complex shall not be held responsible for the loss of any vehicle or any belongings or fitments either kept inside or fitted in the vehicle.
21	Parking of vehicles including cycles inside the sports complex is purely at the owner's risk.
22	Overspeeding in the Complex
	Within the complex, cars/scooters/motorcycles must be driven at a speed of not more than 10 km. per hour. Overspeeding and honking in the complex are not permitted.
23	Dress Regulations
	Members will ensure proper decorum with regard to wearing of dress at the complex. Proper sports attire is to be worn for utilizing any specific sports facility. Under no circumstances, use of salwar kameez/ kurta pyjama, kurta dhoti, vest, chappals/ bathroom slippers, dressing gown, etc., will be permitted for utilization of any sports facility. However, salwar kameez, kurta pyjama, dhoti and sarees will be permitted while utilizing the jogging track.
24	Proper sports kit will be worn for each sport/game as designated in the bye-laws.
25	Refreshment
/	Snack bars with light refreshment are located at convenient places for the convenience of members.
25.1	Bringing food from outside to the complex is not allowed.
25.2	Birthday and other parties are not to be conducted in the sports complex.
25.3	Social gatherings are not allowed in the complex.
25.4	Celebration of any festival within the premises of the sports complex is strictly prohibited.
26	Drinking & Smoking
26.1	Consuming liquor or other intoxicants and smoking in the premises of the complex are strictly prohibited. Members found consuming liquor or other intoxicants are smoking in the premises of the
26.1	Members/non-members found consuming liquor or other intoxicants or smoking in the premises of the complex are liable for termination of their membership/debarring from entering the sports complex.
27	Shooting/Photography
/	The prescribed charges per day for commercial films/advertisements alongwith refundable security deposit
	•

would need to be paid in advance.
Suspension of Membership for Indiscipline.
Commissioner (Sports) are empowered to suspend any member and dependant for indiscipline in the sports complex, including breach of rules, regulations and bye-laws of the sports complex. Non-members will be debarred entry into the complex for such acts.
The following action will be taken on suspension of membership:
(a) A suspended member shall hold his/her lien over the membership status.
(b) He/ She will surrender membership card.
(c) He/She will not be allowed to use the facilities until the suspension is revoked.
(d) After holding an inquiry, if the member is found innocent, he/she will be liable to clear the arrears. If the member is found guilty, his/her membership will be terminated.
No arms and ammunition are allowed in the premises of the complex.
Identification of Foreign Nationals.
Duty personnel are to verify following documents of foreign nationals visiting the sports complex to use sports facilities: -
(a) Passport and Visa.
(b) Letter from the institutions/ organizations where the foreign national is working.
(c) Any other document which certifies legal stay of foreign national in Delhi.
-

SPORTS BYE-LAWS

TENNIS

1	Clay courts and synthetic surface courts are available for tennis. There will be no charge for clay courts. Synthetic surface courts shall be utilized on pay and play basis by members, guests and casual members as per the prescribed charges on hourly basis.
2	Members/ dependants will enter their name and membership number in the register maintained with the attendant along with the time of arrival before playing. Membership card/ receipts will be shown to attendant/ complex authority on demand.
3	Priority to play will be on "First come first serve basis". However, members will have the right to play during peak hours 6.00 a.m. to 8.00 a.m. and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. Should the courts be free during these timings, others may play but will vacate as soon as a member arrives.
4	Temporary / casual members and guests can book the courts from 8.00 a.m. to 6.00 p.m. and from 8.00 p.m.
5	Period of play will be permitted for half hour or a set, whichever is earlier on clay courts. A tie breaker will be played at 5 all. Should there be rush of members, only a short set, i.e., not more 11 games will be permitted.
6	Warming Up
	Only 3 minutes warming up play is permitted which will be included in the 30 minutes play period
7	Singles
	Singles will be played if no doubles or "made up four" is waiting.
8	Playing Gear
	Own tennis rackets and balls are to be brought by members/ dependants for play.
9	No ball boys are permitted or will be employed.
10	Smoking
	Smoking is not permitted.
11	Dress
	T-shirt, shorts (skirts, shorts and leggings for ladies) and tennis shoe should be worn for play. Track suit is permitted only in winter.
12	Coaching
	Marker's services will be available for coaching on prescribed fee. One synthetic court is reserved for coaching.
13	Practice Wall
	A practice wall, consisting of half court is available for practice. A maximum of two persons can practice on each half court. If other members are waiting for practice, the use of wall be restricted to 10 minutes at a time.
14	Timings: (Clay Court)
	Summer timings (1 st March to 30 th November):
	6:00 a.m. to 10:00 a.m. & 3:00 p.m. to 9:00 p.m.
	Winter timings (1 st December to 28 th February):
	6:30 a.m. to 11:00 a.m. & 3:00 p.m. to 8:30 p.m.
15	Synthetic Courts
	 Synthetic courts are for pay and play. Prescribed charges for use during daylight hours and under flood lights are to be paid.
	2. Booking charges are to be paid at the Reception. Members can book the courts online three

- 3. No eatables, tea/coffee, cold drinks, etc., are allowed inside the courts.
- 4. The balls being carried inside the courts must either be in a can with rubberized base or in a card board box. The pressurized can containing balls must be opened and left outside the courts.
- 5. Chairs / tables with wooden or aluminium base are not allowed inside the courts.
- 6. Shoes with non-marking soles are only allowed in the courts.
- 7. Playing music in tennis courts is not allowed.
- 8. Displaying posters/banners in and around tennis arena is not allowed without permission of complex management.
- 9. Proper decorum and discipline to be maintained in the courts.

TABLE TENNIS

1	Members and dependants may use the facility as per prescribed timings. Guests and casual members may also use the facility on payment as per prescribed rates.
2	Table Tennisis for pay and play. Booking charges are to be paid at the Reception. Members can book the Tables online three days in advance and casual members one day in advance by paying the requisite charges
3	All those intending to play will enter their names and membership numbers at the time of arrival in the Register maintained with the Attendant/ Reception.
4	Membership card/ receipts of payment should be shown on demand to the complex official.
5	Priority of Play – Playing is permitted on booking" basis. Attendant will supervise proper use of tables.
6	Period of Play – Play is permitted for 40minutes.
7	Playing Gear – Own table tennis bats and balls will be brought by the players.
8	Dress – Shorts / track lower. T-shirt and shoes with non-marking solesare permitted while playing.
9	Smoking – Smoking is strictly prohibited inside the TT Hall.
10	Proper decorum is to be observed as under: -
	a) When table is not in use, switch off the lights.
	b) Observe silence.
	c) Vacate the table on completion of the game/ time.
	d) Observe dress regulations.
	e) Register your name and membership no. along with arrival time.
	f) Do not stand along the sides of the walls. Be seated on the chairs provided.
10	<u>Timings</u> :
	Summer Timings (1st March to 30th November):
	6:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings (1st December to 28th February):
	6:30 a.m. to 8:30 p.m.

OUTDOOR BADMINTON

1	Members and dependants may play in the badminton courts as per complex timings.
2	Casual members and guests may use the courts on payment for the day as per prescribed rates. They will, however, not be permitted to use the courts between 6.00 a.m. to 8.00 a.m.and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. respectively.
3	All those intending to play will enter their name, membership number and arrival time in register maintained with the attendant/ reception. Membership Card/ Receipt of payment should be shown to the attendant.
4	Priority of Play – It will be on "first come first serve" basis. Attendant will allot the court as per serial no. on the arrival register.
	a) Court No.1 and 2 – for members
_	b) Court No.3 – for dependants.
5	Period of Play – 40 minutes or one game, whichever is earlier. 3 minutes warming up is permitted. This is inclusive in overall time of 40 minutes.
6	Singles will only be played if no "doubles" is waiting.
7	Sports Gear – Own rackets and shuttle cocks are to be brought by the players.
8	Dress – Shorts or track lower with T-shirt and sports shoes.
9	Timings:
	Summer Timings (1 st March to 30 th November):
	6:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings (1 st December to 28 th February):
	6:30 a.m. to 8:30 p.m.
10	Playing of music in Outdoor Badminton Courts is not allowed.
11	Displaying of posters/banners in and around Outdoor Badminton arena is not allowed without permission of complex management.
12	Proper decorum and discipline to be maintained in the courts.
13	No eatables, tea/ coffee, cold drinks etc., are allowed inside the courts.

SQUASH

1	Members and dependants may use the courts as per complex timings.
2	Casual members and guests may use the courts on payment for the day as per prescribed rates. They will, however, not have any priority between 6.00 a.m. to 8.00 a.m. and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. respectively.
3	All those intending to play will enter their name, membership number and arrival time in register maintained with the Attendant/ Reception.
4	Membership card/ receipts of payment should be shown to the attendant.
5	Priority of Play – It will be on "first come first serve" basis. Attendant will allot the court.
6	Period of Play – 30 minutes or one game, whichever is earlier. Not more than 3 minutes knocking/ warming up time is permitted which will be inclusive of 30 minutes period of play.
7	Reserved Courts – No.1 and No.2 courts will be reserved for individual members only between 6.00 a.m. to 8.00 a.m. and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. respectively.
8	Sports Gear – Own squash rackets and balls have to be brought by the players.
9	Dress – Shorts/ T-shirt and sports shoes. Track suit may be worn for warming up. Coloured soled
10	shoes are not permitted.
10	Members will wipe their shoes before entering the court.
	Smoking is not permitted in the court or in the spectators gallery.
12	Timings:
	Summer Timings (1 st March to 30 th November): 6:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings (1 st December to 28 th February):
	6:30 a.m. to 8:30 p.m.
13	Playing of music in squash courts is not allowed.
14	Displaying of posters/banners in and around squash arena is not allowed without permission of complex management.
15	A maximum of 25 players are allowed to sit in the gallery during tournaments.
16	Proper decorum and discipline to be maintained in the courts.
17	No eatables, tea/coffee, cold drinks, etc., are allowed inside the courts.

BILLIARDS/SNOOKER

1	Facilities of Billiards room are available to members, their dependants, temporary/ casual/ guest members.
2	Dependants below the age of 12 years are not allowed in the billiards room.
3	Members will be required to show their cards/ payment receipts of the day to the marker/ complex official and enter the details of membership/ timings etc. in the register kept for the purpose.
4	Prescribed charges are to be paid for use of billiards/ snooker tables.
4.1	Adjustment will be made against future play in the event of failure of power supply, or any other reason beyond the control of the complex management.
5	No member will start the game with the marker when other members are waiting for a table but a game which has been commenced earlier may be permitted to be completed. A member playing with the marker pays for the game.
6	When the tables are already occupied, members desirous of playing shall enter their names on the register provided for the purpose. They must be present on completion of the previous game, otherwise their turn will be forfeited.
7	A table may not be reserved for any sort of game for more than 30 minutes.
8	In case a player plays in a manner which is likely to cause damage to the table, the marker is empowered to stop the game and not permit the person to play any further.
9	Players are not permitted to sit, lie or place glasses on the table.
10	Smoking, eatables, tea/coffee, cold drinks, etc., are strictly prohibited in the billiards room.
11	Spectators are required to observe silence when play is in progress.
12	In case of any damage caused to the table or its cloth either by a member or his / her dependants, guests or by a causal member, the member will be responsible to make good the loss. If the damage so caused is a major one, he will be charged such amount as the management may determine. If in the opinion of the management, the damage was willful, then upto six times the value may be charged. Membership of members can be terminated and casual members debarred from entry to the complex for causing willful damage to playing tables.
13	Coaching — Markers are permitted to coach. Prescribed coaching fees are to be paid. Coaching timings will be from 11 a.m. to 1 p.m. in summer and 10:30 a.m. to 12:30 p.m. in winter.
14	Timings: Billiards room will remain open during the following hours daily except on Mondays:
	Summer Timings- 11:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings- 10:30 a.m. to 8:30 p.m.
15	Playing of music in Billiards room is not allowed.
16	Displaying of posters/banners around billiards/snooker arena is not allowed without permission of complex management.
17	Proper decorum and discipline to be maintained in the Billiards room.
18	No eatables, tea/coffee, cold drinks, etc., are allowed inside the Billiards room.

TAEKWONDO

	TALKWONDO
1	Members, their dependants as well as non-members may join Taekwondo classes on payment of prescribed fee.
2	Taekwondo classes will be conducted on every day except Monday between 5:00 p.m. to 9.00 p.m. (in winter) and 5.30 p.m. to 8:30 p.m. (summer).
3	Players/ participants should be present in the practice area ten minutes before commencement time.
4	Dress
	Participants are permitted to attend only in proper Taekwondo uniform.
	Own uniforms are required to be brought.
	No shoes shall be allowed inside the training area.
5	Finger/ toe nails of participants should be properly cut.
6	Nobody except participants shall be allowed inside the practice area. Spectators may watch from outside the arena.
7	Smoking is strictly prohibited.
8	Strict discipline as per rules will be maintained in the class. Coach/ incharge reserves the right to stop practice or expel a player for misbehaviour or for not observing the rules.
9	The prescribed fee will be paid by the participants/ parents to the authorized staff of the complex and receipt obtained. The receipt will be authority for admission to the coaching class.

CRICKET

1	There is one main pitch on the cricket ground, which is available to members and reputed clubs/firms on hire for a day (9.00 a.m. to 4.00 p.m.) for matches. This main pitch is not available for practice.
2	These bye-laws are primarily for the main pitch on the cricket ground.
3	Prescribed ground booking charges are to be paid at the time of booking by Bank Draft/Pay order in favour of "CAU (Sports), DDA". Payment may also be made by credit/debit cards/RTGS/ NEFT/ Netbanking. Refund will be made if play is not possible due to bad weather or any other reason.
4	Booking has to be done in advance and hiring charges paid by bank draft/pay order/credit/debit cards or bank transfer.
5	Booking, however, has to be reconfirmed two days prior to the match. Rights of giving the ground on hire are reserved with the management.
6	The following will be provided:
	a) Pitch rolled.
	b) Marking of boundary with line.
	c) Score Board.
7	Seating arrangements are available in cricket ground.
8	Cooking/ warming of food is not permitted in the complex.
9	Smoking is not permitted.
10	Consumption of alcoholic beverages is strictly prohibited.
11	Proper cricket dress will be worn to play.
12	<u>Playing equipment/Gear – The team has to bring its own sports equipment/gear.</u>
13	<u>Banners/Advertisement</u> - Putting up banners/advertisement boards is not permitted unless specific permission in writing is obtained.
14	Tents of 15 x 15 ft. may be rigged outside the boundary of the ground with the permission of complex management by paying requisite charges.
15	No vehicles are allowed on the ground.
16	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured from the complex cafeteria.
17	Playing music in the ground is not permitted. However, mikes could be used for commentary purpose only with low volume.
18	Event Management agencies are not permitted to book cricket ground.
19	Proper discipline and decorum to be maintained in the cricket ground.
20	The management has the right to cancel the booking of cricket ground even at short notice without assigning any reason.

CRICKET-PRACTICE PITCHES

15 16 17 18	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They may be procured from the complex cafeteria. Playing of music is strictly prohibited around the practice pitches. Event Management agencies are not permitted to book cricket pitches. Proper discipline and decorum to be maintained in the cricket pitches. The management has the right to cancel the booking of practice pitches even at short notice without
	procured from the complex cafeteria. Playing of music is strictly prohibited around the practice pitches. Event Management agencies are not permitted to book cricket pitches.
15	procured from the complex cafeteria.
14	
13	No vehicles are allowed on the ground.
12	Pitching of shamianas and tents in the field is not permitted.
11	Banners/ Advertisement – Putting up banners/ advertisement boards is not permitted unles specific permission in writing is obtained from the Management.
10	Playing equipment/ Gear – Players will have to bring their own sports equipment/ gear.
9	Dress – Proper cricket dress will be worn for practice.
8	Preparation/ warming of food is not allowed within the premises. Smoking and consumption o alcoholic beverages is strictly prohibited.
7	(b) Net around the practice pitch. No seating arrangement will be provided.
	(a) Pitch rolled. (b) Not around the practice pitch
6	The following will be provided:
5	The users shall be restricted only within the practice pitch area earmarked for the purpose. They must leave the pitch after the allotted time/ period is over. They are not allowed to utilize any othe facility / green area.
4	The practice pitches are meant for practice only. It shall not be used for private coaching. If any person is found conducting private coaching, he/she shall be debarred from use of the complex facility.
3	Booking, however, has to be reconfirmed two days prior to the practice. Rights of giving the practice pitch on hire are reserved with the management.
2	Booking has to be done online in advance and hiring charges paid by credit/debit card RTGS/NEFT/Net-banking. Advance booking can be done maximum 30 days in advance.
	For Reputed Clubs/ Firms/ Members — Pitches will be available to reputed clubs/ firms/ members or hire for a day for practice from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. except Monday on payment of the prescribed charges to be paid by bank draft/pay order in favour of 'CAU (Sports), DDA' or credit/ debit cards, bank transfer. Refund will be made in case play is not possible due to bad weather. 15 players will be allowed per pitch for practice.
	<u>For Members</u> – Members are permitted to use the cemented pitch for practice on all days except or Monday (closed day).
1	Two turf and Two cemented practice pitches are available for booking and Four turf and One cemented practice pitches are available for coaching. Prescribed charges are to be paid. The timing for use by members and reputed clubs/firms are as under:-

HOCKEY(SYNTHETIC TURF)

1	Hockeyground isavailable to members and dependantson pay and playbasis as per prescribed charges as per timings given below:-
	a) 07: 00 AM to 10:00 AM (Winter / Summer)
	b) 03: 00 PM to 05:00 PM (summer)
2	Ground may be put out of play for maintenance for certain period which will be notified in advance.
3	Own hockey stick and ball has to be brought by individuals/ teams.
4	Hockey ground will be used for organized game during the day time between 10 a.m. to 3 p.m.
5	The management reserves the right to allot the ground for organized teams/ matches in the evening.
<u>6</u>	<u>Dress</u> – Proper kit, i.e., shorts, shirts and sports shoes are only permitted. Track suit may be worn during warming up period only.
7	Smoking is not permitted.
8	Discipline and playing decorum will be maintained during the play and within the premises of the complex. Any infringement of complex rules/ bye-laws may debar a person from the use of facility.
	Coaching:-Coaching facility is available six days a week from 7 am to 10 am on prescribed charges.
10	Private coaching is not allowed in Hockey/ Football grounds.
11	Playing of music around the grounds is not allowed. However, mikes could be used for commentary purpose only.
12	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in the grounds.
13	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured from the complex cafeteria.
14	Event Management agencies are not permitted to book hockey grounds.
15	Proper discipline and decorum to be maintained in the hockey grounds.
16	The management has the right to cancel the booking of hockey grounds even at short notice without assigning any reason.

FOOTBALL

1	Football ground is available for coaching on prescribed charges as per timings given below.
	a) 03: 00 PM to 06:00 PM.
2	Ground may be put out play for maintenance for certain period which will be notified in advance.
3	Own football has to be brought by individual/team.
4	Football ground will be used for organized games during day time.
5	Management reserves the right to allot the ground for organized teams/matches in the morning.
<u>6</u>	Dress:- Proper kit i.e. shot, shirts and sports shoes are only permitted. Track suit may be worn during warming up period only.
7	Smoking is not permitted in the play field.
8	Discipline and playing decorum will be maintained during the play and within the premises of the complex. Any infringement of Complex Rules/Bye-laws may debar a person from the use of facility.
9	Playing of music around the grounds is not allowed. However, mikes could be used for commentary purpose only
10	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in the ground.
11	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured /consumed within complex cafeteria only.
12	Event Management agencies are not permitted to book football ground.
13	Proper discipline and decorum to be maintained in the football ground.
14	The management has the right to cancel the booking even at short notice without assigning any reason.

AEROBICS

1	Members and dependants may join aerobics classes on payment of prescribed fee per month. Non-members may be permitted on payment of prescribed fee, subject to availability of vacancies in the class.
2	Payment of monthly charges should be made at the reception for which receipt should be obtained by the participant.
3	Aerobics classes will be conducted 5 days a week (Sunday and Monday would be closed days) 7.15AM to 8.15 AM and 6.00 PM to 7.00 PM
4	Attendance will be marked by the Aerobics instructor. Participants are requested to arrive 10 minutes prior to the start of class.
5	Dress – Decent sportswear or Aerobics dress may be worn.
6	Only participants are permitted inside the class area.
7	Smoking is strictly prohibited.
8	Strict discipline as per rules should be maintained in the class. Coach/ instructor reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehaviour or for not observing the rules.
9	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in the aerobics hall.
10	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., are not permitted inside aerobics hall.
11	Event Management agencies are not permitted to book aerobics hall.
12	Proper discipline and decorum to be maintained in the aerobics hall.

YOGA

1	Yoga classes will be conducted for members and dependants in the complex. Yoga will be carried out in the area designated for it by qualified instructors on payment of the prescribed fee. Non-members may be permitted on payment of prescribed fee subject to availability of vacancies in the class.
2	Timings for the classes will be notified from time to time.
3	Dress – Decent apparel, preferably loose comfortable clothing may be worn. No shoes will be allowed inside the practice area.
4	Durries/ Mats are to be brought by participants themselves for yoga practice.
5	Nobody except participants are permitted inside the practice hall when a class is in progress.
6	Smoking is strictly prohibited.
7	Silence should be observed while practicing yoga.
8	Strict discipline should be maintained in the class. Yoga instructor reserves the right to stop practice and may ask a participant to leave for indiscipline or misbehaviour.
9	Special classes under the instruction of yoga instructor may be run from time to time.
10	Private yoga coaching is not allowed.

BASKETBALL

1	Members and dependants may play on the Basketball Courts as per timings of the complex. Non-members will either come as guests or as casual members on payment of the prescribed charges.
2	Timings:
	Summer Timings (1st March to 30th November):
	6:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings (1 st December to 28 th February):
	6:30 a.m. to 8:30 p.m.
	(The courts may not be available between 9.00 a.m. to 3.00 p.m. if allotted to schools/ colleges).
3	Organized team play is permitted from 6 p.m. to 8 p.m. during summer and from 5 p.m. to 7 p.m. in winter. The Management reserves the right to allot the courts for the same.
4	Dress – Shirts, T-shirts and shorts/ track lower and sports shoes. Ladies may wear "Salwar Kameez" or shirt and skirt.
5	Own Basketball will be brought by individuals/ teams.
6	Smoking is not permitted.
7	Membership card/ receipts for the play should be shown to officials of the complex on demand.
8	Discipline and playing decorum will be maintained during the play. Any infringement of the complex rules/ bye-laws may debar a person from the use of the facility/complex.
9	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited around the courts.
10	Playing of music around the courts is not allowed.
11	Private basketball coaching is not allowed.
12	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured from the complex cafeteria.
13	Event Management agencies are not permitted to book basketball courts.
14	Proper discipline and decorum to be maintained in the basketball courts.
15	The management has the right to cancel the booking of basketball courts even at short notice without assigning any reason.

SWIMMING

1	Members and dependants may avail the swimming pool facility on payment of the prescribed fee subject to availability of capacity in the pool. Guests accompanied by the member may be allowed entry provided there is capacity available in the pool on payment of the prescribed fee.
2	Each member is required to deposit his/her swimming pass/ receipt and enter his/her name, membership number at the time of entry and exit in the register maintained at the reception
3	Pass holders will be allowed to swim only in the allotted time and session as indicated in their monthly/quarterly/ seasonal pass. Pass holder must report 15 minutes before the shift time, failing which time slot will be allotted to another member.
4	All swimmers shall take shower bath before entering the pool. Use of soap, shampoo and oil is not permitted inside the swimming pool. They are also required to be attired in proper swimming costume. Cap is compulsory for long haired swimmers. All instructions imparted by the Coach/ Life Guard are to be strictly followed. The Manager/ Coach is authorized to refuse any person from swimming for misbehaviour and/ or infringement of rules. The Management accepts no responsibility for any accident or mishap. Any injury/ loss of life while using the facility will be at the swimmer's own risk. Likewise, no compensation claim shall be entertained in case of any mishap or loss of life.
5	Wearing a red cap is compulsory for beginners. In case a non-swimmer violates the above restrictions, he/ she shall do so at his/her own risk.
6	Members are requested not to spit in/pollute the pool in any way. Any one suffering from skin disease/ cough or cold will not be allowed to swim.
7	Visitors are not allowed to enter the pool deck. They may sit in the visitors' gallery.
8	Children below the age of 5 years are not allowed inside the pool premises. However, those above the age of 5 years and below 8 years may come if accompanied by an adult.
9	No person is allowed to keep any valuable, e.g., watch/ purse/ money/ ornaments in the change room. If anybody does so he/she shall do so at his/her own risk and responsibility. The management does not accept the responsibility of safeguarding valuables of members. Ornaments like chains, rings, bangles, etc., are not permitted to be worn while swimming. No eatables are allowed in the pool premises. Smoking and consumption of alcohol is strictly prohibited.
10	The pool will remain closed on every Monday.
11	The permission for use of swimming pool to any swimmer can be terminated at any given time without assigning any reason.
12	Refund of swimming fee (daily/ monthly/ seasonal) will not be made for closure of swimming pool for any reason whatsoever.
13	80 swimmers (or as mentioned in the pool license) in main pool are only allowed to swim in one session.
14	Swimming after consuming liquor is not permitted.
15	Members are not allowed to form a group for talking.
16	Swimming breadth-wise is not allowed.
17	Playing of music atswimmingpool is not allowed.
18	Private coaching is not allowed atswimming pool.
19	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be allowed in the swimming pool premises.
20	Event Management agencies are not permitted to book swimming pool.
21	Proper discipline and decorum to be maintained atswimming pool.
22	The management has the right to cancel the booking of swimming pool even at short notice withou assigning any reason.
	60

INSTRUCTIONS FOR INSTITUTIONS:

Institutions may book/ hire the pool on payment of the prescribed fee. A maximum of 50 students will be permitted at a given time. Responsibility of safety of students will entirely rest with the school/ college/institution. If the swimming pool is booked by any institution for coaching/competition, the institution will compensate in full for any damage caused to the swimming pool. The booking of pool by any institution/ organization can be cancelled at any time without assigning any reason. In case of the organization/ institution cancelling their booking, 25% deposit will be deducted as cancellation charges.

CHARGES/ FEES – as per prescribed rates.

Timings:

Morning:

1stSession 6:00 a.m. to 7:00 a.m.

2nd Session 7:00 a.m. to 8:00 a.m.

3rdSession 8:00 a.m. to 9:00 a.m.

4thSession 9:00 a.m. to 10:00 a.m.

5th Session 10:00 a.m. to 11:00 a.m.

6th Session 11:00 a.m. to 12:00 p.m. (for ladies only)

Evening:

6th Session 3:00 p.m. to 4:00 p.m.(for ladies only)

7th Session 4:00 p.m. to 5:00 p.m.

8th Session 5:00 p.m. to 6:00 p.m.

9th Session 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

10th Session 7:00 p.m.to 8:00 p.m.

11th Session 8:00 p.m. to 9:00 p.m.

(Cleaning 12:00 p.m. to 3:00 p.m.)

Note: One session includes 45 minutes swimming and 15 minutes for change/ shower.

FITNESS CENTRE/MULTIGYM

1	At the time of entry, each user (member, dependant, guest, casual member) is required to register his/her name in the register maintained at the reception. Users are also required to be attired as per dress code, i.e., Track Suit, T-shirt, tights, etc.
2	Misbehaviour of any kind with staff or other users will not be tolerated. The management reserves full right to terminate the permission to use the multigym to any user at any given time, without specifying any reason.
3	Users are not allowed to bring their own coach in the premises. Instructors are available in the gym for guidance/help free of cost. Users are required to observe strict discipline and follow the given instructions. The instructor has full right to refuse the use of facility to any person for misbehaviour or infringement of rules.
4	Users with serious disability / health problems will be denied use of the fitness centre.
5	No eatables/ beverages (except water) shall be brought in the multigym. Smoking, consuming alcohol or use of any drugs are strictly prohibited. Playing personal cassettes/CDs/pen drives, etc., on the music system is not allowed.
6	The management will not accept responsibility for any accident or injury suffered while using the facility. Using the centre will be at the personal risk of the user. Likewise, no compensation claim in case of mishap, injury or loss of life shall be entertained.
7	The responsibility of safe keep of members valuables does not fall under the purview of the management. Members are not allowed to keep any valuables/ watch/ purse/ money/ ornaments in the change room. Those deviating from these rules shall be doing so at their own risk.
8	Children less than 14 years of age are strictly forbidden to lift weights.
9	Spectators are not allowed inside the gym.
10	Users causing deliberate damage to any equipment in the gym would be responsible for replacing/ repairing of equipment at their cost/ or a penalty as prescribed would be imposed in the first instance. For subsequent such instances, the users can also be debarred from using the facility.
11	Guests must be accompanied by members to use the facility. The member would be responsible for any misbehaviour/ misconduct/ inconvenience caused by the guest.
12	Charges/ Fee – as per prescribed rate.
13	Timings:
	Summer (1st March to 30th November)
	6:00 a.m. to 12:30 p.m.
	3:00 p.m. to 9:00 p.m.
	Winter (1 st December to 28 th February)
	6:30 a.m. to 12:30 p.m.
	3:00 p.m. to 8:30 p.m.
-	Note:
	Fitness Centre is operated on license by a professional who is responsible for its smooth operation and maintenance. Should there be any complaint or suggestion, the same may be written in the complaint/ suggestion book maintained with the licencee.
	Members may also inform of any complaint/ suggestion to the Shift Incharge and, if need be, in writing to the Secretary.

SKATING

1	Members and dependants may use skating rink as per timings of the complex.
2	Casual members and guests may also use the skating rink for the day as per prescribed rates. Entry to the rink will, however, be subject to availability of space in the rink and may be restricted by the Attendant/ Coach from time to time.
3	Members/ Dependants and others will enter their name, membership no./ receipt no. and arrival time in the register maintained with the Attendant before entering the rink.
4	Membership Card/ Receipt of payment will be shown on demand.
5	There will be a special concession for school children between 10.00 a.m. to 4.00 p.m. at the prescribed rates. Schools/ institutions/ colleges can also use the rink on a fixed time by prior booking.
6	Own skates and other protective head/ body gear will be brought by users. The complex is not responsible for any injury sustained by the skater. Skating which may endanger the safety of other participants is not permitted. Skaters will not cut across the rink.
7	Spectators will not enter the rink. Sitting on railings around the skating rink is strictly prohibited. The spectators will watch from the spectators' gallery.
8	Smoking and eating is not permitted inside the rink.
9	Strict discipline and proper decorum will be maintained by the users/spectators.
10	Attendant/ Coach reserves the right to stop a skater or expel him from the rink for misbehaviour or for not observing the rules/ dangerous skating.
11	No skate boarding is permitted.
12	Steel wheel skates are not allowed. Roller skates with artificial brakes fixed on the front are also not allowed.
13	Members/ dependants/non-members may join coaching in skating which will be organized as per specified timings on payment of the prescribed fee. During this period only users who avail coaching would be permitted. Speed skaters are not allowed to use the rink during this period to avoid any accident.
14	The skating fee will be paid at the reception and receipt obtained.
15	Playing of music atskating rink is not allowed. However, organizers of events may use PA system for announcement purpose.
16	Private coaching is not allowed in the skating rink.
17	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured from the complex cafeteria.
18	Event Management agencies are not permitted to book the skating rink.
19	Proper discipline and decorum to be maintained atskating rink.
20	The management has the right to cancel the booking of skating rink even at short notice without assigning any reason.

INDOOR BADMINTON STADIUM

	INDOOR BADWIINTON STADIOW
1	Members, their dependants and guests and casual members may play in the badminton courts as per complex timings on payment of the prescribed charges.
2	This is a pay and play facility. The booking charges as prescribed would be for 40 minutes per court.
3	Non-members will be required to pay casual membership fee before booking the courts.
4	Court booking charges can be paid online. Guest/ casual membership charges will be paid at the Reception, Admin. Block and receipt obtained.
5	Members/ non-members will be required to show valid membership card and receipt of the booking and guest/ casual membership charges to the complex staff on duty before entering the stadium.
6	Members will enter their name/ details in the register maintained at the reception of the stadium.
7	Coloured sole shoes are NOT permitted.
8	Please keep silence in the stadium.
9	No private coaching is permitted. Any such unauthorized coaching will be assumed as commercial activity and will invite action against the member which may include termination of membership. Non-members can be debarred from the complex for conducting unauthorised coaching.
10	Complex officials on duty may make surprise check of the players using the facility and defaulters will be asked to pay double the booking charges as penalty.
11	The management will not be responsible for loss/ theft of any personal belongings, either in the indoor badminton stadium, or within the complex.
12	Drivers/ servants are strictly prohibited inside the stadium or in the visitors gallery.
13	Compensation will be made by adjustment against future play in the event of failure of power supply, or any other reason beyond the control of complex management.
14	Smoking/ spitting is strictly prohibited.
15	Use of mobile phones in indoor badminton stadium is strictly prohibited.
16	Dustbins may be used to avoid littering.
17	Consuming of alcoholic beverages/ liquor, eatables, tea/coffee, cold drinks, etc., are strictly prohibited in indoor badminton courts.
18	Members and casual members can book the courts three days and one day in advance of playing date respectively by paying the requisite booking charges.
19	The management reserves the right for booking the courts. The indoor badminton stadium can be closed for playing badminton without assigning any reason.
20	Period of Play – 40 minutes or one game, whichever is earlier. 3 minutes warming up is permitted. This is inclusive of the overall time of 40 minutes.
21	Sports Gear – Own rackets and shuttle cocks are to be brought by the players.
22	Dress – Shorts or track lower with T-shirt and gum soleshoes. Coloured soled shoes are NOT permitted.
23	<u>Timings</u> :
	Summer Timings (1st March to 30th November):
	6:00 a.m. to 9:00 p.m.
	Winter Timings (1 st December to 28 th February):
	6:30 a.m. to 8:30 p.m.
24	Playing of music and dancing in indoor badminton courts is not allowed.
25	Displaying of posters/banners around the indoor badminton stadium is not allowed without prior permission of the complex management.
26	Only 50 players are allowed to sit in the gallery during tournaments.

27	Proper decorum and discipline to be maintained in the indoor badminton stadium.
28	No audio-visual system to be used in the indoor badminton stadium.
29	No mikes to be used to announce fixtures/ commentary purpose.
30	Spectators are to sit only in the gallery. They must not enter the badminton arena.
31	Event management agencies are not permitted to book the facility. Corporates/ firms to book the facility by themselves in their names.

GYMNASTICS

1	The gymnastics coaching will be imparted to boys and girls trainees who are between the age group of 05 to 15 years.
2	The coaching classes will be conducted in the indoor gymnasticshall equipped with gymnastics apparatus for boys and girls trainees in the Complex.
3	Timings :-
	Summer:- March to November 05.00 PM to 07.00 PM
	Winter :- December to February 04.30 PM to 06.30 PM
4	Distracting noise or activity is not permitted inside the gymnasticshall as concentration is important.
5	No one is allowed to use gymnastics apparatus without direct supervision of qualified and properly trained coaches.
6	Children will attempt new skills only in progression and with instructor's approval and supervision.
7	Children trainees will consult gymnastics instructor for type, number and placement of mats. Remember mats alone will not prevent all injuries, and are not a substitute for proper supervision or the above safety procedures.
8	Any activity involving motion and height creates possibleinjury but risk can be significantly reduced by following the above measures. Always consult your gymnastics Instructor in case of any problem or difficulty.
	Dress :-
	All trainees will wear proper gymnastics attire, including footwear and use chalk powder when
	necessary to prevent slipping as under:-
	Girls:-Nylon/lycra gymnastics costume, tights, T-Shirts of any colour.
	Boys:- Nylon shorts stretchable-T-shirts/vest gymnastics pants nylon /lycra.
9	Consumption of beverages and snacks inside the gymnastics Hall is strictly prohibited.
10	Smoking inside the gymnastic hall is strictly prohibited
11	Strict discipline as per rule will be maintained in the premises. Instructor/coach reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehavior or for not observing the rules.

ARCHERY

1	The Archery coaching will be imparted to boys and girls trainees above 11 yrs age.
2	Members and dependents may join archery classes on payment of prescribed fee per month. Non-members may be permitted on payment of fee subject to availability of vacancies in the class.
3	Payment of monthly charges should be made at the reception for which receipt should be obtained by the participant.
4	Archery classes will be conducted on 05 days a week excluding all Sundays, Mondays and holidays.
5	Attendance will be marked by the archery coach. Participants will arrive 10 minutes before the start of class.
6	Only participants are permitted inside the training area.
7	Smoking is strictly prohibited.
8	Strict discipline as per rules should be maintained in the class. Coach/instructor reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehaviour or for not observing the rules.
9	Playing kit / equipment will be provided by coaching agency/individual.
10	Timings – 04:00 PM to 06:00 PM
11	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in and around training area.
12	Playing of music around the ground is not allowed.
13	Private archery coaching is not allowed.
14	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured/consumed within the complex cafeteria.
15	Event management agencies are not permitted to book archery ground.
16	Proper discipline and decorum to be maintained in the archery ground.
17	The management has the right to cancel the booking of archery ground even at short notice without assigning any reason.

DANCE

1	Members and dependents may join dance classes on payment of prescribed fee per month. Non-members may be permitted on payment of fee subject to availability of vacancies in the class.
2	Payment of monthly charges should be made at the reception for which receipt should be obtained by the participant.
3	Dance classes will be conducted on 06 days a week excluding all Monday and holidays.
4	Attendance will be marked by the dance instructor. Participants will arrive 10 minutes before the start of class.
5	Only participants are permitted inside the coaching area.
6	Smoking is strictly prohibited.
7	Strict discipline as per rules should be maintained in the class. Coach/instructor reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehaviour or for not observing the rules.
8	The music is to be handled by the instructor only and shall handover the inventory before closure each day.
9	Timings – 05:00 PM to 07:00 PM
10	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in the class.
11	Private dance coaching is not allowed.
12	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured/consumed within the complex cafeteria.
13	Event management agencies are not permitted to book dance hall.
14	Proper discipline and decorum to be maintained in the dance hall.
15	The management has the right to cancel the booking of dance hall even at short notice without assigning any reason.

ATHLETICS

1.	Members and dependents may join athletics coaching on payment of prescribed fee per month. Non- members may be permitted on payment of fee subject to availability of vacancies in the class.
2.	TIMINGS :- 7.00AM to 9.00 AM & 4.00 PM to 6.00 PM
3.	Dress :- Shirts T-Shirts and shorts/Track lower and sports shoes. Ladies may wear "Salwar Kameez" or shirt and Skirt.
4.	Equipment if any will be brought by individuals.
5.	Smoking is not permitted.
6.	Member's card/receipts for the play should be shown to officials of the complex on demand.
7.	Discipline and decorum will be maintained during the practice. Any infringement of the complex rules/bye-laws may debar a person from the use of facility.
8.	Consuming alcoholic beverages is strictly prohibited in and around the ground.
9.	Private athletics coaching is not allowed.
10.	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured/consumed within the complex cafeteria.
11.	Proper discipline and decorum to be maintained in the athletics track.

CHESS

1	Members and dependents may join chess classes on payment of prescribed fee per month. Non-members may be permitted on payment of fee subject to availability of vacancies in the class.			
2	Payment of monthly charges should be made at the reception for which receipt should be obtained by the participant.			
3	Chess classes will be conducted on 03 days a week excluding all Mondays and holidays.			
4	Attendance will be marked by the instructor. Participants will arrive 10 minutes before the start of class.			
5	Only participants are permitted inside the chess classes.			
6	Smoking is strictly prohibited.			
7	Strict discipline as per rules should be maintained in the class. Coach/instructor reserves the right to stop practice or expel a participant for misbehaviour or for not observing the rules.			
9	Consuming of alcoholic beverages is strictly prohibited in chess hall.			
10	Playing of music in chess hall is not allowed.			
11	Private chess coaching is not allowed.			
12	Food items, tea/coffee, cold drinks, etc., will not be brought from outside the complex. They must be procured/consumed within the complex cafeteria.			
13	Event management agencies are not permitted to book chess hall.			
14	Proper discipline and decorum to be maintained in the chess hall.			
15	The management has the right to cancel the booking of chess hall even at short notice without assigning any reason			
16	Timings: -05:00 PM to 08:00 PM.			

SUMMARY OF BYE-LAWS

S. N.	Game	Timings	Days	Dress	Remarks
1	Tennis	Clay Court Winter: 6:30 a.m. to 11:00 a.m.	All days except Monday	T-shirt, shorts (skirts/ shorts and legging for ladies) and non marking tennisshoes should be worn for play. Track suit is permitted only in winter.	No fee for clay courts. Synthetic courts or prescribed fee charges
2	Table Tennis	Winter: 6:30 a.m.to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts/Track lower. T-shirt and sports shoes are permitted while playing.	Silence to be observed. Lights to be switched off after play. Standing next to wal not permitted.
3	Badminton	Winter: 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts/Track lower, T-shirt and sports shoes.	Courts No.1 & 2 fomembers, No.3 fodependants.
4	Squash	Winter: 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts, Shirt/ T- shirt, Non- marking squash shoes (track suit for warming up/ only in winter)	Coloured soled shoes are not permitted.
5	Billiards/Snooke r	Winter: 10:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer:11:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Decent attire/sports dress	Prescribed Fee 11 a.m. to 9p.m. ir Summer & 10:30 AM to 8:30PM in Winter.
6	Taekwondo	Winter: 5:00 p.m. to 6:30 p.m. Summer: 6:00 p.m. 7:30 p.m.	Tues to Sun	Prescribed uniform	Prescribed fee. Own uniform to be brought. Participants to report 10 minutes before commencement.
7	Basketball	Winter: 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts, Shirt/ T- shirt and Sports Shoes (track suit for warming up/ only in winter)	Organised team play 6:00 PM to 8:00 PM (Summer) 5:00 PM to 7:00 PM (Winter)
8	Hockey/Football	Winter: 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts, Shirt/ T- shirt and Sports Shoes (track suit for warming up/ only in winter)	Organised team play 10:00 AM to 3:00 PM

9	Aerobics	Winter: 6:30 a.m.to 11:00 a.m. 4:00 p.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. to 11:00 a.m. 4:00 p.m. to 9:00 p.m.	Tues to Sat	Dress prescribed by the instructor.	Prescribed fee
10	Yoga	As notified	All days except Monday	Loose	Prescribed fee
11	Cricket	9:00 a.m.to 4:00 p.m.	All days except Monday	Cricket Pants and T-shirt	On Payment of Prescribed fee.
12	Cricket Practice Net	9:00 a.m.to 12:00 Noon	All days except Monday	Cricket Pants and T-shirt	Hard pitch is reserved for Members. Turf pitch is for booking on prescribed fee.
13	Swimming	6:00 a.m.to 11:00 a.m. 3:00 p.m. to 9:00 p.m.	All days except Monday	Swimming Costume	On Payment of Prescribed fee.
14	Fitness Centre	Winter: 6:30 a.m.to 1:00 p.m. 3:00 p.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m.to 12:30 p.m. 3:00 p.m. to 9:00 p.m.	All days except Monday	Track Suit/tights, Shortsand T-Shirt	On Payment of Prescribed fee.
15	Skating	7:00 a.m.to 9:00 a.m. 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Beginners : 5:00 p.m. to 7:00 p.m.	All days except Monday	Track Suit, Shorts and T-Shirt	On Payment of Prescribed fee.
16	Indoor Badminton Stadium	Winter: 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Summer: 6:00 a.m. 9:00 p.m.	All days except Monday	Shorts/Track Lower. with T- shirt and non- marking shoes.	Reserved court No.1 for management.

SUMMARY OF IMPORTANT BYE-LAWS AND SCHEDULE OF SPORTS/ GAMES AT SPORTS COMPLEX

1	Specified charges for guests and casual members to be paid.			
2	Members to maintain decorum and dress regulations.			
3	Members to enter their name, membership number and arrival time in the register maintained at each facility.			
4	Cards/ Receipts of subscription payment to be shown to complex official on demand.			
5	Own playing gear, i.e., rackets, balls, bats, shuttle-cocks, etc., to be brought by players.			
6	Timings are subject to change. Notice for the same will be put up on the Notice Board and members intimated by SMS/e-mail.			
7	Litter not to be thrown anywhere. Waste baskets to be used.			
8	Silence to be observed in the sports arena.			
9	Smoking and consuming of liquor/ alcoholic beverages strictly prohibited in courts/ playing arena.			
10	All are requested to be courteous to staff of the complex.			
11	Detailed bye-laws available at each sports facility.			
12	Members are requested to adhere to bye-laws of the complex.			
13	Administration reserves the right to close the facility for maintenance/ cleaning, etc. Notice for the same will be put up on the Notice Board and members intimated by SMS/email.			
14	Complaint/ Suggestion book available at the Reception.			
15	The Management Board reserves the right to change bye-laws as necessary from time to time.			
16	Coaching fees for any facility will be paid to the authorised staff of the complex only and receipts obtained. Coaches are not authorised for receiving coaching fee. The complex will not be responsible for payment of coaching fees to persons other than the complex staff.			
17	Refund of money or adjustment against future play in the event of failure of power supply, bad weather, rain or for any other reason beyond the control of the Management would be made.			